

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



A.K. Shukla,
A.D.

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114/-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अगस्त 2006 — भाद्र 9, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, डाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11926/290/21-अ/प्रारूपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-8-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 25 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006

विषय सूची

भाग-एक

प्रारंभिक

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
2. अधिनियम का लागू होना
3. परिभाषाएं

भाग-दो

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना

4. उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना स्वीकृति के बिना नहीं होगी
5. विद्यमान संस्थाओं के लिए विशेष प्रावधान
6. शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति
7. अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन
8. कायिक निधि
9. उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि और आवास स्थान का विस्तार
10. संस्थान के स्थल संबंधी आवश्यकताएं
11. निरीक्षण
12. अनुमति का प्रदाय
13. उन्नयन के लिए अनुमति नहीं
14. नये पाठ्यक्रम, संकाय और कक्षाएं आरम्भ करने हेतु आवेदन

15. कतिपय प्रकरणों में विशेष प्रोत्साहन
16. अनुमति प्राप्त संस्थाएँ संबंधित विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करेगी
17. अनुमति के बिना सम्बद्धता नहीं
18. अनुमति प्राप्त संस्थाओं के स्थान परिवर्तन और स्थानांतर पर निर्बन्धन
19. अनुमति का प्रत्याहरण
20. परीक्षा प्रणाली पर नियंत्रण
21. स्वरूप के परिवर्तन पर निर्बन्धन
22. प्रवेश का विनियमन
23. शुल्क का ढाँचा
24. भूमि और भवन के वाणिज्यिक उपयोग पर निर्बन्धन
25. आय के उपयोग पर निर्बन्धन
26. स्थायी प्रकोष्ठ की स्थापना

भाग-तीन

सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तें आदि

27. शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती
28. पदोन्नति
29. सेवा शर्तें

भाग-चार

सहायता अनुदान

30. सहायता अनुदान
31. अनुदान के प्रकार
32. अनुदान हेतु आवेदन

33. अनुदान के लिए प्ररूप और घोषणा
34. अनुदान हेतु संस्वीकृति दाता प्राधिकारी
35. वेतन पर सहायता अनुदान संबंधी निर्बन्धन
36. अंकेक्षण
37. अनुदान को रोकने, वापस लेने, निलम्बित करने, कम करने अथवा बसूली करने का अधिकार
38. अनुदान का व्ययगत होना

भाग-पांच

वेतन सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संस्थागत निधि, लेखों एवं वेतन भुगतान की प्रक्रिया

39. वर्तमान पद संरचना का संरक्षण
40. शैक्षणिक संस्थाओं को दिया जाने वाले सहायता अनुदान बन्द नहीं किया जायेगा
41. महंगाई भत्ते का भुगतान
42. अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रबन्धन
43. संस्थागत निधि का गठन
44. निधि का परिचालन
45. पासबुक
46. प्रत्येक शिक्षक और अन्य कर्मचारी दो खाते खोलेगा
47. हस्ताक्षर के पूर्व देयकों की जांच
48. शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन पर्चों का प्रावधान
49. शुल्क
50. संस्था में रखी गई राशि के लेखे का पृथक से संधारण
51. लेखा पुस्तकों का संधारण
52. लेखा का वार्षिक अंकेक्षण

प्रमाणित किया जाता है

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग, 2006

भाग-छ:

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के बन्द होने पर सम्पत्ति एवं प्रबन्धन का अधिग्रहण

53. बिना सूचना के अशासकीय संस्थान को बन्द आदि नहीं किया जायेगा
54. अशासकीय संस्थान के बन्द होने पर प्रबन्धन द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सम्पत्ति इत्यादि के अभिलेख आदि को सौंपना
55. अशासकीय संस्थान की सम्पत्ति के अन्य संक्रमण पर निबन्धन
56. अन्य संक्रमण की अनुमति
57. कतिपय प्रकरणों के लिए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु प्रबन्धन का दायित्व
58. विवरणियों आदि को प्रस्तुत करना
59. प्रवेश, निरीक्षण और सूचना प्राप्त करने का अधिकार
60. शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के निहित पदों की इस अध्याय के तहत कुछ उद्देश्यों के लिए एक इकाई माना जायेगा

भाग-सात

सहायता-अप्राप्त महाविद्यालयों की तदर्थ अनुदान

61. तदर्थ अनुदान
62. तदर्थ अनुदान हेतु पात्रता की शर्तें
63. निरर्हता
64. प्राथमिकता
65. अनुदान की सीमाएं
66. अनुदान हेतु आवेदन
67. अनुदान स्वीकृति पर उत्तरदायित्व

होना कि सिविल सेवा के अंतर्गत

भाग-आठ
विविध प्रावधान

68. नियम बनाने की शक्ति
69. शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण

70. कतिपय प्रकरणों में नियमों की रचना
71. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
72. निरसन तथा व्यावृत्ति
73. इस अधिनियम के प्रावधानों से किसी भी संस्था को मुक्त करने की शक्ति
74. कतिपय राशियों की भू-राजस्व के शेष के तरह बसूली
75. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 25 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन)
अधिनियम, 2006

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और कार्यप्रणाली के विनियमन को उपबन्धित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

भाग - एक
प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 होगा. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.
- (2) यह इस तारीख से प्रभावशील होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.
- (3) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
2. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्ण या आंशिक सहायता प्राप्त करने वाले अथवा सहायता न प्राप्त करने वाले तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अवधारणा के अन्तर्गत एवं राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ में स्थित सभी अशासकीय महाविद्यालयों और/अथवा उच्च शिक्षा संगठनों पर यह अधिनियम लागू होगा. अधिनियम को लागू होना.
3. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- प्रभाषात्,
- (1) "तदर्थ अनुदान" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा किन्हीं विशेष उद्देश्यों के लिए प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकृत राशि;
- (2) "सहायता प्राप्त महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत संधारण अनुदान के द्वारा नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त कोई भी महाविद्यालय या संस्थान ;
- (3) "कॉलेज कोड" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) के परिनिियम-28 में अन्तर्विष्ट प्रावधान ;
- (4) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के द्वारा या अधीन विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार द्वारा समुचित रूप से संधारित या स्वीकृत शिक्षण निजी सहायता या बिना सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, जो महाविद्यालय या महाविद्यालय से भिन्न संस्थान, नाम की स्थापना से चलाने जा रहे हों, किन्तु जो स्वरूप, कार्यक्षेत्र, मापदण्ड से उच्च शिक्षा के महाविद्यालयों के धारणा के अधीन आती हों ;
- (5) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, उच्च शिक्षा का आयुक्त अथवा वह अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे शासन द्वारा अथवा आयुक्त द्वारा अपनी ओर से शक्तियां प्रदान की गई हों ;

- (6) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, जिसे शासन द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए, अथवा ऐसे क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो ;
- (7) "शैक्षणिक एजेंसी (अभिकरण)" से अभिप्रेत है, जब तक विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न हो, शैक्षणिक समिति, सोसायटी, ट्रस्ट या संघ, जो उच्च शिक्षा में आयोजित शैक्षणिक संस्था को प्रायोजित करता हो, उसकी देखरेख करता हो, प्रशासन करता हो, नियंत्रित करता हो अथवा चलाता हो ;
- (8) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, अनुदान प्राप्त या अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा संस्था द्वारा नियोजित शिक्षण अथवा शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य ;
- (9) "संस्थापना समिति" से अभिप्रेत है, विधिवत् पंजीकृत एवं निगमित, पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय या पंजीयन के लिए विधि द्वारा निगमित या शासकीय निगमन जिसकी निधि तथा संधारण ऐसे व्यक्तियों का समूह, जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में प्रविष्ट शैक्षणिक संस्था की स्थापना करता हो और जहां छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम, 1973 की धारा-33 के तहत उस समिति का प्रशासी निकाय बर्खास्त कर दिया गया हो, वहां राज्य शासन द्वारा समिति की कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ;
- (10) "सामान्य शिक्षा" से अभिप्रेत है, तकनीकी शिक्षा से भिन्न शिक्षा की सभी शाखाएं, जिनमें विशेष शिक्षा सम्मिलित ;
- (11) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय संहिता (कॉलेज कोड) के परिनियम क्रमांक-28 के प्रावधानानुसार गठित शासित निकाय,
- (12) "शासन" से अभिप्रेत है, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, छत्तीसगढ़ शासन ;
- (13) "अनुदान" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा अकादमिक स्तर के उन्नयन एवं संधारण तथा अधो-संरचना के लिए संधारण (वेतन) अनुदान, तदर्थ सहायता अनुदान या प्रकरण अनुसार किसी अन्य रूप में शैक्षिक संस्थाओं को प्रदान किये जाने वाले वित्तीय अनुदान ;
- (14) "उच्च शिक्षा विभाग" से अभिप्रेत है, शासन के अधीन कार्यरत उच्च शिक्षा विभाग ;
- (15) "निरीक्षण" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों, पंजियों की छान-बीन तथा भवनों, ग्रन्थालयों, प्रयोगशालाओं, क्रीडांगण तथा अन्य सम्बन्धित मुद्दों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित विशिष्ट भौतिक प्रविष्टियों के अनुसार जांच और शैक्षिक संस्था के विकास में शैक्षिक संस्थाओं तथा उसके कर्ता-धर्ताओं का समग्र मूल्यांकन ;
- (16) "संस्था" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय ;
- (17) "संधारण/वेतन अनुदान" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्ते आदि के लिए नियमित रूप से दिया जाने वाला अनुदान ;
- (18) "प्रबन्धन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सोसायटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के सन्दर्भ में उसका शासी निकाय तथा अभिव्यक्ति 'संस्था का प्रबन्धन' तदनुसार व्याख्यायित होगी ;
- (19) "अशासकीय महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे व्यक्तियों के किसी समूह, ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा प्रबन्धीकृत तथा संचालित महाविद्यालय ;

- (20) "सहायता अप्राप्त महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय या संस्था की परिभाषा के अन्तर्गत न आने वाला महाविद्यालय ;
- (21) "संस्थापना समिति का अध्यक्ष" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जो संस्थापना समिति द्वारा विधिवत् उसका अध्यक्ष (जिस नाम से पुकारा जाता हो) चुना गया हो और उसका कार्यकारी प्रमुख हो और यदि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के धारा-33 के तहत समिति बर्खास्त की गई हो, तो राज्य शासन द्वारा समिति के कार्यों के देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का मुखिया ;
- (22) "शिक्षक" से अभिप्रेत है, किसी शैक्षणिक संस्था में शैक्षणिक स्टॉफ का कोई भी सदस्य, जिसे उस संस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया हो ;
- (23) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से है और कोई भी संस्थान उसमें समाहित है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 में सन्निहित विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से परामर्शपूर्वक मान्य हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य की परिसीमा में कार्यरत हो.

भाग - दो

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना

4. इस अधिनियम की प्रावधानों की अनुकूलता से परे कोई भी शिक्षा-संस्था स्थापित नहीं की जायेगी और कोई व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अथवा जो इस धारा के अधीन प्रदत्त अनुमति को निरस्त किये जाने के बाद ऐसी संस्था चलाता है, उसे साधारण कारावास की सजा, जो छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो रुपये तीन हजार से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे रुपये पचास हजार तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जायेगा.
5. शिक्षा देने वाली सभी संस्थाएं, जो कथित अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावशील होने के तत्काल पूर्व स्थापित एवं मान्यता प्राप्त थीं और इसके लागू होने के समय अस्तित्व में थीं, उन्हें कथित अधिनियम के तहत स्थापित एवं मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था माना जायेगा, बशर्ते कि वे कथित अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत नियमों का अनुपालन ऐसी अवधि में और यथानिर्धारित ऐसी प्रक्रिया के अनुरूप पूरा करें, जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है ;

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना स्वीकृति के बिना नहीं होगी.

विद्यमान संस्थाओं के लिए विशेष प्रावधान.

परन्तु शिक्षा प्रदान करने वाले कोई भी निजी संस्था, जो कथित अधिनियम के लागू होने के समय अस्तित्व में हो, परन्तु इसके लागू होने के तत्काल पूर्व प्रभावशील नियमों के तहत मान्यता प्राप्त न हों, कथित अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन रचित नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त करने आवेदन करेगी और ऐसे प्रत्येक आवेदन का निराकरण सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति के आठ दिनों की समयावधि के भीतर किया जावेगा.

6. सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर अपने अधिकार क्षेत्र में स्थान की शैक्षणिक आवश्यकताओं को जानने के लिए सर्वेक्षण करेंगे तथा निम्नलिखित के लिए अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त करने, निर्धारित रीति से स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी करेंगे-

शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति.

(क) शिक्षा प्रदान करने नई संस्था की स्थापना हेतु ; अथवा

(ख) उच्च शिक्षा की संस्था में उच्चतर कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए ; अथवा

(ग) नया पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पाठ्यक्रम आदि) प्रारंभ करने के लिए.

अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन.

7. महाविद्यालय खोलने की आकांक्षा रखने वाली ऐसी कोई भी समिति, जो "छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973" के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत हो, इस बारे में निर्धारित विधि से निम्नांकित प्रलेखों के साथ शिक्षा सत्र के पूर्व वर्ष के 31 अक्टूबर के पूर्व आयुक्त को आवेदन कर सकती है :-

- (क) सोसायटी के पंजीयन का प्रमाण.
- (ख) प्रबन्धन एवं सम्बन्धित प्रबन्धकारिणी का विवरण.
- (ग) सोसायटी को उपलब्ध निधियों का उनसे सम्बन्धित प्रमाणों सहित विवरण.
- (घ) प्रसाधन, पानी तथा बिजली की मूलभूत सुविधाओं से युक्त कार्यालय, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कॉमन रूम, खेल एवं क्रीड़ा आदि के लिए पर्याप्त स्थान वाले भवनों तथा भूमि का विवरण. स्वामित्व, अधिग्रहण या पट्टे की प्रलेखी प्रमाण भी प्रस्तुत किये जाने चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, ऐसे प्रावधान कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए किये गये हैं ;
- (ङ) संस्था चलाने के लिये आवश्यक अचल सम्पत्ति जैसे कार्यालय, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कॉमन रूम आदि के लिए फर्नीचर एवं उपकरणों का विवरण ;
- (च) निगमित निकाय का संविधान, जिसमें अनिवार्यता: उसके अन्य प्रावधानों के साथ प्रबन्धन एवं उसकी तथा प्रस्तावित संस्थाओं के प्रशासकीय और वित्तीय प्रबन्धन के विनियमों तथा परिणियमों प्रक्रियाओं का विवरण हो ;
- (छ) प्रस्तावित आय एवं व्यय को दर्शाने वाले तीन वर्ष के अंतिम बजट की प्रति ;
- (ज) प्रस्तावित संकायों और कक्षाओं का विवरण ;
- (झ) अर्जित भूमि और निर्माणाधीन भवनों के लिए अनुमोदित प्लान सहित सक्षम अधिकारियों की अनुमति ;
- (ञ) प्रस्तावित स्थान के बीस किलोमीटर की परिसीमा में उच्च शिक्षा की सुविधाओं की उपलब्धता ;
- (ट) प्रस्तावित क्षेत्र की परिसीमा में स्थित संस्थानों में प्रस्तावित विषयों की उपलब्धता ;
- (ठ) साध्यता रिपोर्ट, यथा—
- (एक) स्थान विशेष में जनता को उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता.
- (दो) संस्था की सतत एवं प्रभावपूर्ण देखरेख के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पर्याप्त वित्तीय प्रावधान.
- (तीन) संस्था की अवस्थिति के लिए स्वच्छ स्वास्थ्यप्रद वातावरण.

कायिक निधि.

8. (1) जितनी कि निर्धारित की जाये, उतनी कायिक निधि (विन्यास) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संस्था की स्थापना के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा के द्वारा अनुमति प्रदान करने से पूर्व शैक्षिक अधिकरणों द्वारा जमा की जायेंगी.
- (2) बिजरी संस्था की शैक्षणिक एजेन्सी अपनी प्रबन्धकारिणी शासन के प्रतिनिधि के रूप में उच्च शिक्षा के आयुक्त के संयुक्त लेख में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में कायिक निधि जमा करेगी. जमा की गई कायिक निधि के आहरण की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी, तथापि शासन, शैक्षणिक एजेन्सी

को संस्था के विकास के लिए निर्धारित आधारभूत निधि के ऊपर उपार्जित ब्याज को पांच से दस वर्ष की अन्तराल में उपयोग में लाने की अनुमति दे सकता है ;

तथापि अपवादिक स्थितियों में शैक्षिक-अभिकरण इस अन्तराल को घटाकर तीन वर्ष करने के लिए उच्च शिक्षा के आयुक्त से अनुरोध कर सकता है, तो भी किसी भी स्थिति में यह अवधि किन्हीं निर्धारित शर्तों के साथ तीन वर्ष से कम किसी हालत में नहीं होगी.

9. शैक्षिक संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि और आवास स्थान का विस्तार विहित अनुसार होगा. यह भी कि, शैक्षिक अभिकरण राज्य शासन द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप प्रस्तावित संस्थान के आवास के लिए सम उपयुक्त भवनों की व्यवस्था करेगा.
10. शैक्षिक-अभिकरण के पास अपनी खुद की अमीन पर खुद का स्थायी पक्का भवन होना अनिवार्य है. तथापि यदि ऐसा सम्भव नहीं है, तो शैक्षिक अभिकरण उच्च शिक्षा के आयुक्त से अनुरोध कर सकता है, जो निम्न कारणों को दर्ज करते हुए इसकी स्वीकृति दे सकता है :-

उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि और आवास स्थान का विस्तार.

संस्थान के स्थल सम्बन्धी आवश्यकताएं.

- (क) यदि संस्था का स्थान निर्धारण जिला पंचायत अथवा नगरपालिका से जुड़ी संस्था के परिसर के अन्तर्गत पंचायत अथवा नगरपालिका से, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तावित संस्था का स्थान-निर्धारण करे और पहले से स्थित संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं जैसे, भवन-संस्था की जगह, फर्नीचर, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला, खेल-मैदान आदि का उपयोग पृथक जगह आदि उपलब्ध होने तक करने की पूर्वानुमति होगी. शैक्षणिक एजेन्सी संस्थाओं की स्थापना के लिए आवेदन सहित अनुमति के लिए पत्र प्रेषित करेगा एवं आवश्यक जगह एवं अन्य सुविधाएं यथाशीघ्र प्रस्तावित संस्था को पूर्णतः उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ;

तथापि, शैक्षणिक एजेन्सी के लिए यह अनिवार्य होगा कि, संस्था को चलाने के लिए पांच वर्ष के भीतर पृथक से जगह उपलब्ध कराये. शैक्षणिक संस्था द्वारा उक्त सुविधा नियत समय के भीतर उपलब्ध कराने में असफल होने पर संस्था चलाने हेतु दी गई अनुमति स्वतः समाप्त मानी जायेगी. तथापि, यह शैक्षणिक एजेन्सी की विवेक पर होगा कि, वह रिक्त स्थान पर कौन सी संस्था चलाना चाहता है.

- (ख) यदि निजी संस्थान का स्थान-निर्धारण किसी निजी जगह में प्रस्तावित है, तो उच्च शिक्षा के आयुक्त शैक्षणिक एजेन्सी को ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि, संस्थाओं को जगह देने के लिए उपयुक्त पट्टे पर प्राप्त संस्था की इमारत अर्जित कर ली गई हो तथा कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए पट्टा प्रस्तुत कर दिया हो. शैक्षणिक एजेन्सी यह दर्शाने के लिए प्रलेखी प्रमाण भी प्रस्तुत करेगी कि, उनके पास चाही गई भूमि और निधि भवन निर्माण के लिए है और यह यथाशीघ्र नियत स्थान में कथित भवनों का निर्माण करने के लिए तैयार है.
- (ग) यदि निजी शैक्षणिक संस्था का स्थान-निर्धारण पहले से ही विद्यमान संस्था के परिसर में ही प्रस्तावित है, तो ऐसी शैक्षणिक एजेन्सी प्रस्तावित संस्था को उच्च शिक्षा विभाग और अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के विनिर्देशन के अनुसार आवश्यक जगह तथा फर्नीचर, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला आदि अन्य सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध करायेंगी.
- (घ) यदि संस्था को दानदाता द्वारा प्रदत्त भवन में संस्थित किया जाना प्रस्तावित है, तो एतद् सम्बन्धी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.
- (ङ) यदि संस्था को ऐसी जगह में संस्थित किया जाना प्रस्तावित हो, जो पूर्व उल्लेखित खण्डों से परे है, तो उच्च शिक्षा के आयुक्त का निर्णय अंतिम माना जायेगा.
- (च) ऐसे शैक्षिक एजेन्सियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में उच्च अध्ययन के संस्थान स्थापित करना चाहते हैं :-

- (एक) ऐसे विकासखण्ड, जहां उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है

- (दो) राज्य के दूरस्थ क्षेत्र, जहां पहुंचना सुगम नहीं है।
- (तीन) अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र, जहां किसी भी ओर शैक्षिक संस्थान स्थित नहीं है।
- (चार) जहां उच्च शिक्षा के अध्ययन की एक जगह से दूसरी जगह की भौतिक दूरी 30 किलोमीटर है, तथापि, अपवादिक प्रकरणों में यह दूरी घटाकर 20 किलोमीटर की जा सकती है;
- (पांच) आदिवासी विकासखण्ड, जहां अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है।
- (छः) ऐसे शहरी क्षेत्र, जहां जनसंख्या के घनत्व के लिहाज से उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं हैं।
- (सात) जहां स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा में शिक्षा के प्रतिशत के विशेष सन्दर्भ में शिक्षा का दर अत्यन्त कम है।
- (आठ) जहां शैक्षिक एजेन्सी द्वारा आदिवासी विकासखण्डों में आवासीय महाविद्यालय आरम्भ करने की योजना है ;

तथापि, आदिवासी विकासखण्डों में निजी अथवा जनभागीदारी योजना में आवासीय महाविद्यालय आरम्भ करने कोई भी शैक्षिक एजेन्सी शासन से सम्पर्क कर सकता है।

निरीक्षण.

11. संक्षम प्राधिकारी, आवेदन के विवरणों से संतुष्ट होने पर आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित संस्था के निरीक्षण हेतु, विहित रीति में विशेषज्ञों की एक समिति नाम निर्देशित करेगा। इस हेतु समिति दोनों पक्षों के सुविधाजनक तिथि पर विहित शर्तों की पूर्ति की हद जानने, संस्थागत निरीक्षण करेगा तथा एक माह के भीतर अपने निष्कर्ष तथा अभ्युक्तियां देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि स्वीकृति दी जाये अथवा नहीं। इसके साथ ही प्रतिवेदन में स्वीकृति देने पर या स्वीकृति देने के लिए विषयों, अध्ययन के पाठ्यक्रम, प्रवेश के लिए छात्रों की संख्या तथा शर्तें आदि कोई हों, का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, जो यह नियत करेगा कि, अनुमति दी जा सकती है अथवा दिया जाय।

अनुमति का प्रदाय.

12. (1) अनुमति के प्रदाय की अनुशंसा सम्बन्धी प्रतिवेदन की प्राप्ति कर संक्षम अधिकारी अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेगा बशर्ते कि, उसके इस बात से संतुष्ट होने के कारणों परिस्थितियां न हों जिससे आवेदन की अस्वीकृति का औचित्य हो ;

परन्तु अनुमति प्राप्त करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन से संक्षम अधिकारी भिन्न प्रस्ताव देता है, तो उसके लिए यह बाध्य कर होगा कि वह अमान्य करने के अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे।

- (2) अनुमति दिये जाने की स्थिति में संक्षम प्राधिकारी निश्चित समय में ऐसी शर्तें, जैसी कि, विहित का जाये, की पूर्ति के आशय को दर्शाते हुए पत्र जारी करेगा। तथापि यह किसी भी स्थिति में संबंधित वर्ष 31 मई से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा। सम्बन्धित शैक्षिक एजेन्सी संक्षम अधिकारी को आशय पत्र में दर्शायी गई कमियों को पूरा करने विषयक सूचना देगा। आगे यह भी कि, उक्त एजेन्सी आगामी शिक्षण सत्र में संस्था प्रारम्भ करने हेतु अन्तिम निरीक्षण के लिए अनुरोध करेगा, उसके पश्चात् शैक्षिक संस्थान संक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद तत्काल सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्पर्क करेगा।

- (3) शैक्षिक एजेन्सी के द्वारा आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए समय में ढील दिये जाने सम्बन्धी निवेदन की स्थिति में इस प्रयोजन के लिए संक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिवेदन

के उपरान्त ऐसा करण उच्च शिक्षा के आयुक्त के विवेक पर आश्रित होगा.

तथापि, सक्षम अधिकारी कथित प्रयोजनों के लिये दी गई रियायतों से सम्बन्धित पूर्ति के प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को निर्देशित करेगा और लगातार तीन वर्ष तक सन्तोषप्रद प्रगति नहीं पाये जाने पर सूचना जारी करते हुए प्रदत्त अनुमति वापस ले ली मानी जायेगी.

13. उच्चतर माध्यमिक शाला का डिग्री कालेज के रूप में उन्नयन के द्वारा किसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी, तथापि, उच्च शिक्षा आयुक्त की पूर्वानुमति से विद्यमान संस्था परिसर में इस शर्त पर स्थापित की जा सकती है कि, शैक्षणिक एजेन्सी प्रस्तावित संस्था की श्रेणी अथवा कोटि के लिए विहित आवश्यकताओं जैसे-स्थान, फर्नीचर, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं अनन्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए तैयारी कर ली है.

उन्नयन के लिए अनुमति नहीं.

14. नये पाठ्यक्रम संकाय और कक्षाएं आरम्भ करने सम्बन्धी कोई आवेदन नव स्थापित संस्थाओं के आरंभ होने की तिथि से तीसरे वर्ष के अंत तक विचारणीय नहीं होगा.

नये पाठ्यक्रम, संकाय और कक्षाएं आरम्भ करने हेतु आवेदन.

तथापि सक्षम प्राधिकारी आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष पश्चात् प्रस्तावित अतिरिक्त अनुभागों अथवा पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक स्थान जैसी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होने की दशा में अतिरिक्त अनुभागों पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने की अनुमति दे सकता है.

15. सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा-10 (च) के अधीन उद्धृत प्रकरणों में शैक्षिक एजेन्सी के आवेदन पर दिया जायेगा.

कतिपय प्रकरणों में विशेष प्रोत्साहन.

- (1) सामान्य प्रकरणों के लिए निर्धारित मानदण्ड से निर्धारित अचल सम्पत्ति अथवा कायिक निधि के मूल्य पर 50 प्रतिशत की छूट जो शासन द्वारा अनुमति प्रदान करने की तारीख से तीन वर्ष अनधिक कालावधि के लिए ऐसे प्रकरणों में होगी, जहां —

(एक) प्रस्तावित संस्थान, अधिसूचित ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा हो; और

(दो) प्रस्तावित संस्थान के 20 किलोमीटर के दायरे में सामान्य या व्यवसायिक उच्च शिक्षा की संस्था न हो.

तथापि यह उल्लेखित छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन, संबंधित प्रबंधन समिति को किया जायेगा.

- (2) शासन, ऐसे आदिवासी विकासखंडों और अधिसूचित विकासखंडों में जहां 50 किलोमीटर की दायरे में उच्च शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, शासन स्वयं या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्यक् रूप से पंजीकृत निजी निकाय के स्वामित्व वाले विद्यमान उच्चतर माध्यमिक स्कूल के परिसर में नया महाविद्यालय आरम्भ करने अथवा चलाने के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए विचार कर सकती है:—

(एक) स्थान, फर्नीचर और अन्य शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हों.

(दो) उपधारा-(1) में उल्लेखित विद्यमान संस्थान की अनुमति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत हो.

- (3) इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि, शैक्षिक एजेन्सी के पास सोसायटी के नाम कम से कम 15 एकड़ की पंजीकृत जमीन हो अथवा जनजातीय क्षेत्र में संस्थान प्रस्तावित होने पर सोसायटी के नाम कम से कम 05 एकड़ की पंजीकृत जमीन हो. शासन निम्नलिखित रियायतें देने पर विचार कर सकता है:—

(एक) लोक निर्माण विभाग/राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एजेन्सी के प्राक्कलन के अनुसार तथा निर्माण किये जाने वाले भवनों यथा प्रशासनिक भवन, क्लासरूम, छात्रावास, क्रीडा परिसर एवं प्रयोगशाला पर कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रु. 15 लाख जो भी कम हो;

- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों से नियुक्त शिक्षकों के वेतन हेतु अधिकतम रु. 10 लाख जो आरम्भिक 10 वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य होगा ;
- (तीन) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उपकरणों के क्रय की लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 2 लाख जो भी कम हो ;
- (चार) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की सुसंगत पाठ्य पुस्तकों की क्रय लागत पर 100 प्रतिशत अथवा रु. 2 लाख जो भी कम हो ;

तथापि, उपर्युक्त रियायतें ऐसी संस्था के लिए नहीं होगी, जो परम्परागत पाठ्यक्रम चलाना चाहते हैं.

आगे यह भी कि, स्थित संस्था के जिले के जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित एक समिति ऊपर लिखित रियायतों को नाम निर्देशित करेगी. प्रतिवर्ष ऐसी अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर, वांछित रियायतें जारी की जायेगी.

अनुमति प्राप्त संस्थाएं सम्बन्धित विश्व-विद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करेंगी.

16. शासन से अनुमति प्राप्त संस्थान अपनी अकादमिक पाठ्यचर्या तब तक आरम्भ नहीं करेगा, जब तक सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नहीं कर लेता.

अनुमति के बिना सम्बद्धता नहीं.

17. किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट विपरीत बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय, किसी संस्थान को उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के अनुमोदन के बगैर सम्बद्धता प्रदान नहीं करेगा. यह भी कि, सम्बद्धता आदेश की एक प्रति सूचनाथ उच्च शिक्षा के आयुक्त को प्रेषित करेगा.

अनुमति प्राप्त संस्थाओं के स्थान परिवर्तन और स्थानांतर पर निर्बन्धन.

18. (1) किसी विशेष क्षेत्र की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थान की अनुमति प्राप्त किसी भी संस्था को अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

तथापि, उसी दृश्यता में एक भवन से दूसरे भवन में संस्था के स्थानांतरण की अनुमति बेहतर जगह देने या अपने ही भवन में स्थानांतरण करने की अनुमति शासन की पूर्वानुमति से देय होगी.

- (2) संस्था का एक जगह से दूसरी जगह अनाधिकृत रूप से बदलाव, से संस्था को प्रदत्त अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के अपने आप वापस हो जायेगा.
- (3) जिस शैक्षिक एजेन्सी को संस्था स्थापित करने की अनुमति दी गई है, वह किसी भी परिस्थिति में अन्य शैक्षिक एजेन्सी को संस्था का हस्तांतरण नहीं करेगा.

अनुमति का प्रत्याहरण.

19. (1) जहां किसी संस्था का प्रबन्धन इस अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित किसी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, वहां सक्षम प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ध करते हुए तथा प्रबन्धन को ऐसे निरस्तीकरण अथवा कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देते हुए संस्था की अनुमति को रद्द कर सकता है अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है, जो आवश्यक प्रतीत होता है.
- (2) जहां शासन का यह अभिमत है, कि शैक्षणिक संस्थान को दी गई अनुमति जनहित में निरस्त की जानी चाहिए, वहां ऐसी संस्था के प्रबन्धन को अभ्यावेदन करने के लिए एक माह की सूचना देकर व कथित संस्था को दी गई अनुमति अधिसूचना द्वारा निरस्त कर सकता है.

- (3) सक्षम प्राधिकारी, निजी शैक्षणिक संस्था को स्वीकृत की गई अनुमति को स्थायी रूप से अथवा किसी विशेष समयवधि के लिए, जैसा उचित प्रतीत हो, तब समाप्त कर देंगे, जब कोई संस्था, जिसमें स्थायी रूप से सम्बद्धता प्राप्त संस्था सक्षम प्राधिकारी के विचार से किसी भी शर्त की पूर्ति करने में असफल रही है.
20. आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन अथवा अंशतः बाह्य या अंशतः आंतरिक मूल्यांकन का विनियमन नियमों के द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि, वह छात्रों के मूल्यांकन की विश्वसनीय एवं प्रभावशील पद्धति के रूप में बनायी जा सके. परीक्षा प्रणाली पर नियंत्रण.
21. किसी भी परिस्थिति में महिलाओं के संस्थान को सह-शिक्षा या बालकों के संस्थान या परस्पर परिवर्तन/इसके विपरीत बदलने की अनुमति नहीं होगी. स्वरूप के परिवर्तन पर निर्बन्धन.
22. (1) विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदन तथा आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन में उस आदेश का विवरण अनिवार्यतः होगा, जिसके तहत संस्था स्थापित की गई है. प्रवेश का विनियमन.
- (2) विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्धारित प्रवेश नियमों के अनुसार होगा.
- (3) विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं दिया जायेगा. संस्था के प्राचार्य प्रवेश नियमों के उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे.
23. (1) शासन द्वारा शुल्क के निर्धारण और ढांचे के विनियमन के लिए एक सात सदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसका अध्यक्ष उच्च शिक्षा का आयुक्त, सदस्य सचिव, उच्च शिक्षा का अतिरिक्त संचालक होगा. एक सदस्य, प्रबंधन का, महाविद्यालय का प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय का एक प्राचार्य, अशासकीय महाविद्यालयों से एक प्राचार्य तथा, शासन द्वारा शुल्क के ढांचे को विनियमित करने हेतु एक शिक्षाविद् का नाम-निर्देशित किया जायेगा. शुल्क का ढांचा.
- तथापि, ऐसी समिति शुल्क के ढांचे को निर्धारित करने की प्रक्रिया में संस्था को शासन द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहन को ध्यान में रखेगी.
24. राज्य शासन के अनुमति के बिना भूमि और भवन के वाणिज्यिक उपयोग के जरिये आय की अनुमति नहीं होगी, जहां शासन ने चाहे जिस भी रूप में भूमि प्राप्त करने या उस पर भवन बनाने अथवा दोनों में सहायता प्रदान की हो. भूमि और भवन के वाणिज्यिक उपयोग पर निर्बन्धन.
25. विशिष्ट प्रयोजनों से उपार्जित निधि से प्राप्त किसी भी आय का उपयोग केवल सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए होगा और उसके किसी भी हिस्से को अन्यथा व्यय करने की अनुमति नहीं होगी अथवा व्यवसाय में लगाना मान्य नहीं होगा. आय के उपयोग पर निर्बन्धन.
- तथापि, ऐसी निधि के अवशेष का उपयोग एतद् विषयक आवेदन पर वेतन सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की पेंशन निधियों में कमी को पूरा करने के लिए या सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में नियमित शिक्षकों के वेतन में कमी को पूरा करने के लिए आयुक्त द्वारा अभिलेखों के निरीक्षण के पश्चात् अनुमति दी जा सकती है.
26. उच्च शिक्षा संचालनालय में अशासकीय संस्थाओं से सम्बन्धित कार्यों के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त संचालक की श्रेणी से अल्पतः अधिकारों के अधीन एक स्थायी प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा. इस तरह नियुक्त अतिरिक्त संचालक शुल्क ढांचे के लिए गठित स्थायी समिति का सदस्य सचिव होगा. स्थायी प्रकोष्ठ को स्थायी.

भाग - तीन

सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तें आदि

- शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती.
27. संस्थान में शिक्षक अथवा अन्य कर्मचारी के पद पर भर्ती :-
- (1) राज्य शासन की पूर्वानुमति से और कॉलेज कोड परिनियम क्र.-28 के प्रावधानों के अनुसार होगा ;
तथापि अनुमति हेतु आवेदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जायेगा.
 - (2) संस्थान के द्वारा अपने खुद के संसाधनों से शिक्षकों की भर्ती किये जाने पर शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी. किसी भी स्थिति में ऐसे पदों को शासन द्वारा पूर्व से ही स्वीकृत सामान्य पदों में पदांतरित नहीं किया जा सकेगा.
- पदोन्नति.
28. सम्बद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय समय-समय पर कॉलेज कोड परिनियम क्र.-28 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों के स्थानन/पदोन्नति के मामलों में यथोचित कार्रवाई करेगा.
- तथापि, ऐसे स्थानन/पदोन्नतियां, आयुक्त, उच्च शिक्षा से पूर्वानुमोदन के अधीन होंगे जो आगे इस पर शासन के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेंगे. इस प्रयोजन के लिए गठित समिति में उच्च शिक्षा के आयुक्त द्वारा नियुक्त एक सदस्य होगा.
- सेवा शर्तें.
29. विश्वविद्यालय प्रति तीन वर्ष में कम से कम एक बार इन सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का पुनर्विलोकन करेगा तथा समय-समय पर ऐसे पुनर्विलोकन के परिणामों की जानकारी एवं सूचना शासन को देगा.

भाग - चार

अनुदान

- अनुदान.
30. (1) राज्य में निजी प्रबन्धन के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को आगे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रत्येक स्थान एवं प्रत्येक संस्था की आवश्यकताओं पर आवश्यक विचार के बाद अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा.
- (2) अनुदान इनके लिए मंजूर किया जा सकता है :-
- (एक) सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान के वेतन एवं भर्तों का अनुरक्षण.
 - (दो) भवन.
 - (तीन) उपकरण या जमीन.
 - (चार) अन्य सम्बन्धित प्रयोजन हेतु उस परिमाण में और उन सीमाओं तक तथा उन शर्तों पर जो शासन को उचित लगे.
- (3) अनुदान के सम्बन्ध में शासन का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी.

31. (1) संधारण अनुदान, एक आवर्ती अनुदान है, जो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे कर्मचारियों (शिक्षकों सहित) के वेतन भुगतान के लिए है, जिनकी नियुक्ति अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग या मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की सहमति से हुई है। अनुदान के प्रकार
- (2) तदर्थ अनुदान, एक अनावर्ती अनुदान है, जो गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय को प्रदान किया जाता है तथा जो अस्तित्व में हों तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम निरन्तर पांच वर्षों से "अच्छे रिकार्ड" सहित सफलतापूर्वक संचालित हो रहा हो।
32. स्वोक्तकर्ता प्राधिकारी, अशासकीय शैक्षिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध अनुदान के लिए आवेदन पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि :— अनुदान हेतु आवेदन
- (i) विशिष्ट अनुदान के लिए आवेदन करने वाली संस्था की पात्रता प्रभावशील रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक समिति के रूप में पंजीकृत है तथा अनुदान की पात्रता के लिए सम्बन्धित विधि के अन्तर्गत शासन द्वारा विधिवत् मान्यता प्राप्त है ;
- (ii) तदर्थ सहायता अनुदान के मामले में संस्था कम से कम पांच पूर्ण वर्ष से अधिक समय में अस्तित्व में हो तथा चल रही हो तथा संधारण अनुदान के मामले में दस वर्ष से स्थापित हो ;
- (iii) अनुदान के लिए आवेदन ऐसे प्रयोजनों के लिए है, जैसा कि, शासन ने प्रावधान किया है ;
- (iv) अनुदान के लिए आवेदन किसी निश्चित जाति, वंश या समुदाय पर आधारित किसी वर्ग विशेष के हित को बढ़ावा देने से न जुड़ा हो ;
- (v) संस्था का ऐसा कोई पूर्ववृत्त न हो, जिससे उसे सहायता के लिए अयोग्य माना गया हो ;
- (vi) संस्था में दर्ज और उससे लाभान्वित छात्रों की संख्या उतनी हो, जितनी कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समझी जाय।
33. अनुदान की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में निर्धारित शासन को किया जायेगा, साथ में मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्धन के हस्ताक्षरयुक्त इस आशय की घोषणा हो :— अनुदान के लिए प्ररूप और घोषणा
- (I) कि, मान्यता एवं अनुदान की उन शर्तों का पालन किया जाता रहा है व किया जायेगा,
- (II) कि, संस्था के निरीक्षण हेतु सभी सुविधाएं, उसका खाता, पंजियां तथा इस प्रयोजन से सम्बन्धित अन्य अभिलेख जब भी वर्णित हो, प्रस्तुत कराये जायेंगे,
- (III) कि, इसके लिए निर्धारित सभी रिटर्न तथा रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
34. ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जहां शासन का सन्दर्भ वांछित है, आयुक्त, उच्च शिक्षा, राज्य निधि से भुगतान हेतु अनुदान स्वीकृत करेंगे। अनुदान हेतु स्वीकृति-दाता प्राधिकारी:
35. अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए वेतन पर सहायता अनुदान केवल ऐसे पाठ्यक्रमों एवं विषयों तक सीमित होगा, जो उस सामान्य शिक्षा से ही सम्बन्धित है, जो शासकीय महाविद्यालयों में उपलब्ध हैं तथा जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। वेतन पर सहायता अनुदान सम्बन्धी निर्दिष्टन.

सहायता
अनुदान

तथापि, यदि सहायता प्राप्त महाविद्यालय विद्यमान पाठ्यक्रमों से पृथक कोई अन्य नया पाठ्यक्रम आरम्भ करना चाहें तो इस प्रयोजन से जुड़ाये निजी संसाधनों से वे ऐसा कर सकते हैं।

अंकेक्षण.

36. शासन से सहायता प्राप्त कर रहे सभी संस्थाओं के खाते अंकेक्षण के अधधीन हैं और आयुक्त, प्रत्येक संस्था के सम्बन्ध में यह निर्णय लेने में स्वतंत्र है कि, ऐसा अंकेक्षण उसके विभाग के अंकेक्षकों से कराया जाय या बाहर से तथा ऐसा अंकेक्षण, कैसे, कितने और अन्तराल में कराया जाये. आयुक्त के द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों को सभी पंजियों तथा रिकार्डों, खाताबहियों आदि तक पूरी पहुँच रहेगी, जिन्हें अंकेक्षक अपने कर्तव्यों के संतोषजनक निर्वहन परिशीलन किये जाने हेतु आवश्यक हो.

अनुदान को रोकने, वापस लेने, निलम्बित करने, कम करने अथवा बसूली करने का अधिकार.

37. अधोलिखित स्थितियों में आवश्यक जांच के पश्चात् शासन, संस्था को स्वीकृत अनुदान को रोक, वापस, निलम्बित, घटा सकता है अथवा आपत्ति के अधीन पायी गई राशि को वसूल सकता है और अनुदान से सुजित सम्पत्ति को शासन में निहित कर सकता है :-

- (एक) यदि सम्बन्धित संस्था, मान्यता या सहायता के लिए सभी या किसी शर्त को पूरा करने में असफल होती है ;
- (दो) यदि उस जाति या समुदाय के आधार पर किसी छात्र को प्रवेश देने से अस्वीकार करता है, जिसका कि, वह छात्र है, या
- (तीन) यदि प्रबन्धन या संस्था में नियुक्त कोई शिक्षक शासन के प्राधिकार के विरुद्ध निर्देशित सज्जनैतिक आन्दोलन में भाग लेता है या छात्रों के मध्य समरूपता विरोधी भावनाओं या असंतोष की भावना को उकसाने को प्रवृत्त होने की धारणा मन में बैठाता है, या
- (चार) यदि, संस्था किसी धर्म के विश्वास और रिवाज के प्रति घृणा या द्विरस्कार पैदा करने वाले प्रचार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा देता है, या
- (पांच) यदि किसी शिक्षक के नियोजन के सम्बन्ध में आयुक्त के किसी आदेश की अवहेलना हो, जिसके प्रमाण-पत्र को नियमपूर्वक जांच के बाद निरस्त या निलम्बित किया गया हो, या किसी नियत जांच के बाद शिक्षक होने के अयोग्य या अवांछनीय पाया गया हो, या पंजियों में जालसाजी है या विशेष शुल्क संग्रहण या अन्य निधि का जिस प्रयोजन से संग्रहण किया गया है, उससे इतर दुरुपयोग किया गया हो या शुल्क अथवा उपस्थिति सम्बन्धी मिथ्या निरूपण हो या विश्वविद्यालय से सामूहिक नकल की सूचना हो या अन्य प्रकरण या अन्य सिद्ध छल-कपट, अनियमितताएं पायी गई हों ; या
- (छः) यदि कोई सम्बन्धित संस्थान, यू. जी. सी. वेतनमान और राज्य सरकार के अनुसार अपने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने में असफल रहता है अथवा जानबूझ कर शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशन का उल्लंघन करता है अथवा दर्ज छात्रों की संख्या सारणी के अनुसार पूरे किये गये पाठ्यक्रम की जानकारी और निर्धारित प्रयोजनों के लिए प्रदत्त अनुदान के उपयोग का त्रैमासिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा के आयुक्त को प्रस्तुत करने में चूक करता है, या
- (सात) यदि मुहैया कराये गये अनुदान का उपयोग, जिसके लिए मंजूर किया गया है, उससे इतर प्रयोजन के लिए किया गया है.

38. राज्य निधि से सहायता के प्रयोजन हेतु संस्था की पात्रता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, यदि संस्था की मान्यता वापस ले ली जाती है और ऐसी अपात्रता उसी तारीख से प्रभावशील होगी, जिससे मान्यता की वापसी प्रभावशील हुई है। इस शर्त के अधीन कोई संस्था जो पूरे वित्तीय वर्ष में अथवा वर्ष के एक भाग में कार्य करती है, ऐसी कालावधि के लिए अनुदान की पात्रता होगी, भले ही उस कालावधि के बाद वह कार्य करे या न करे।

अनुदान का व्ययगत होना।

भाग - पांच

वेतन सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संस्थागत निधि, लेखों एवं वेतन भुगतान की प्रक्रिया

39. अधिनियम के आरम्भ होने से तत्काल पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शासन से वेतन सहायता प्राप्त निजी संस्था में शासन द्वारा स्वीकृत अथवा शासकीय अनुदान से सृजित शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों की विद्यमान संख्या को राज्य शासन की सहमति के बिना घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जायेगा।
40. अधिनियम के इस भाग में या किसी अन्य भाग में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी निजी प्रबन्धन के अधीन कोई भी शैक्षणिक संस्था जो कि अनुदान के रूप में अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व किसी प्रचलित विधि के अधीन संधारण अनुदान के रूप में शासन से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है, बिना किसी भी प्रकार की कटौती, चाहे जो भी हो, अथवा किसी कमी के बिना ऐसा सहायता अनुदान प्राप्त करना जारी रहेगा। बशर्ते धारा पांच के निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

वर्तमान पद संरचना का संरक्षण।

शैक्षणिक संस्थाओं को दिया जाने वाले सहायता अनुदान बन्द नहीं किया जायेगा।

व्याख्या—“संधारण अनुदान” या वेतन अनुदान का अर्थ तथा इसमें सम्मिलित है, राज्य शासन द्वारा वर्तमान प्रावधानों के अधीन उनके वेतन, महंगाई भत्ते इत्यादि के विरुद्ध प्रदत्त अनुदान।

तथापि, स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन भी चलाये जाने वाले ऐसे विषयों, पाठ्यक्रमों एवं संकायों में कार्यरत शिक्षकों के लिए वही वेतनमान लागू होगा जो स्कूल शिक्षा विभाग के उन्हीं विषयों, पाठ्यक्रमों एवं संकायों के शिक्षकों के लिए लागू हैं, चाहे ऐसे विषयों, पाठ्यक्रमों एवं संकायों को आरम्भ करने की अनुमति सम्बन्धित महाविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग से ही प्राप्त की हो। यह प्रावधान, 01 नवम्बर, 2000 से प्रवृत्त सम्झा जायेगा।

41. (1) ऐसे प्रकरणों में जहाँ वेतन अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन के द्वारा शासन द्वारा अधिसूचित दर पर महंगाई भत्तों का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया जाता, वहाँ आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा संस्था की वित्तीय स्थिति की जांच की जायेगी और ऐसे जांच के उपरान्त वह इस बात से संतुष्ट हो कि, प्रबन्धन शासकीय दर पर भत्ते के भुगतान के लिए सक्षम है तो वह सम्बन्धित प्रबन्धन को शासकीय दर पर भत्ते के भुगतान के लिए निर्देशित करेगा।
- (2) यदि ऐसे निर्देश जारी होने के बाद राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाला प्रबन्धन शासकीय दर पर भत्ते का भुगतान नहीं करता है, तो उन्हें दिया जाने वाला अनुदान पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रोक सकता है।

महंगाई भत्ते का भुगतान।

42. प्रत्येक ऐसी संस्था जो अनुदान प्राप्त है, एक या अधिक व्यक्तियों के प्रबन्धन के अधीन होगी, जिन्हें विभाग की मान्यता हो जो मालिक, न्यासी या संस्था का संधारण करने वाली सोसायटी या संघ द्वारा चुनी गई समिति के सदस्य की हैसियत में हो जिनके द्वारा संस्था का संधारण किया जाता हो, संस्था का संचालन करेंगे तथा संधारण के लिए उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे नियमों और अनुशासनों को जो समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं, को लागू करने सहित मान्यता एवं सहायता की समस्त शर्तों को पूरा करेंगे।

अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रबन्धन।

- संस्थागतनिधि का गठन. 43. जहां संस्था स्थित है, उस क्षेत्र में कोषालय या उप कोषालय में नियमों के अधीन प्रावधानित लेखाशीर्ष में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के प्रयोजन के लिए प्रत्येक संस्था के द्वारा अपना पृथक खाता खोला जायेगा जिसमें संस्था की संस्थागत निधि को जमा किया जायेगा.
- निधि का परिचालन. 44. अधिनियम के अधीन शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रबन्धन द्वारा नामित संस्था के प्रतिनिधि तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा नामित द्वारा संयुक्त रूप से संस्थागत निधि का परिचालन किया जायेगा. कतिपय स्थितियों में जो कि राज्य शासन के नियमों के अधीन निर्धारित किये जा सकते हैं, आयुक्त अथवा उसके नामितों को आदेश में उल्लेखित अवधि के लिए एकल तौर पर संचालन के लिए अधिकृत किया जा सकता है.
- पासबुक. 45. (1) प्रत्येक संस्था के लेखा के पास-बुक का संधारण सम्बन्धित संस्था के द्वारा किया जायेगा, जो उसमें प्रविष्टि के लिए उसे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में कोषालय या उप कोषालय भेजेगा.
- (2) दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए पासबुक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में कोषालय या उप कोषालय भेजा जायेगा. 31 मार्च की स्थिति में बचत खाते का मिलान प्राचार्य अपने द्वारा संधारित लेखों से करेगा. यदि लेखों में कोई विसंगतियां पायी जाती हैं, तो कोषालय या उप कोषालय के लेखों से मिलान के द्वारा उन्हें दूर किया जायेगा.
- प्रत्येक शिक्षक और अन्य कर्मचारी दो खाते खोलेगा. 46. संस्था के ऐसे सभी शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी जो शासन एवं यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदित सूची में वेतन सहायता के लिए दर्ज हैं, अपनी सुविधानुसार शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में वेतन भुगतान हेतु दो खाते खोलेंगे जिनमें से एक में उनका वेतन तथा दूसरे में भविष्य निधि की रकम जमा की जायेगी. तथापि, प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी को आधिकाधिक प्रत्येक माह के अन्तिम दिवस तक और किसी भी परिस्थिति में आगामी माह की पांच तारीख तक वेतन भुगतान की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी. उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन की सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः उच्च शिक्षा के आयुक्त को देनी होगी अन्यथा निर्धारित नियमों के अधीन प्रबन्धन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का कारण होगा.
- हस्ताक्षर के पूर्व देयकों की जांच. 47. वेतन देयक और उस पर जारी चेक पर प्रबन्धन के तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकृत नामितों द्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर परिवर्ती के द्वारा नियमानुसार सम्यक् जांच के उपरान्त किये जायेंगे.
- संस्था के वेतन देयक में हस्ताक्षर से पूर्व उच्च शिक्षा विभाग का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुनिश्चित करेगा कि, पूर्व माह में वसूले गये शुल्क का विवरण दो प्रतियों में संलग्न किया गया है और यह भी कि, कोषालय या उप-कोषालय में इस खाते की जमा की जाने वाली निर्धारित राशि जमा कर दी गई है.
- चेक जारी करने से पहले उच्च शिक्षा विभाग के अधिकृत नामितों द्वारा जांच के दौरान देयक अथवा चेक में त्रुटि पाये जाने पर तथा सूचित करने पर संस्था के द्वारा ऐसी त्रुटि/त्रुटियों को दूर किया जायेगा.
- शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन पर्ची का प्रावधान. 48. शासन द्वारा नियत तिथि पर नियमानुसार प्राचार्य द्वारा प्रत्येक शिक्षक अथवा कर्मचारी को वेतन पर्ची दी जायेगी, जिसे वेतन मास का वेतन और भत्ते, वेतन से कटौतियां और बैंक खातों में जमा रकम दर्शायी जायेगी.
- शुल्क. 49. अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट मानक दरों पर प्रबन्धन द्वारा वसूली गई शुल्क की कुल राशि का पचास प्रतिशत भाग संस्था के खर्चों को पूरा करने के लिए चिन्हित होगा और शेष पचास प्रतिशत को निर्धारित नियमों के अनुसार समाधान से अथवा चालान के जरिये प्रत्येक माह के अन्तिम दिवस तक कोषालय में अथवा उप कोषालय में जमा किया जायेगा.
- संस्था में रखी गई राशि के लेखे का पृथक से संधारण. 50. शुल्क का पचास प्रतिशत हिस्सा कोषालय या उप कोषालय में जमा करने के बाद संस्था में रखी गई राशि का लेखा पृथक से संधारित किया जायेगा. इस लेखे के संधारण के लिए प्राचार्य उत्तरदायी होगा.

51. रोकड़ पुस्तिका, कोषालय चेक बुक और वेतन तथा शुल्क से सम्बन्धित खातों की पुस्तकें, प्रमाणक (क्वाड्रर) तथा शुल्क से सम्बन्धित संस्था के कागजात, प्राचार्य की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। लेखा के संधारण की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी और ऑडिट के समय लेखा से सम्बन्धित सभी पुस्तकों और अन्य कागजात को वह उपलब्ध करायेगा। लेखा पुस्तकों का संधारण।
52. राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक शैक्षणिक संस्था के लेखे का निरीक्षण और अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिनियुक्त विभागीय अंकेक्षकों के द्वारा किया जायेगा। प्रबन्धन के द्वारा वित्तीय विवरण-पत्रक नियमों में निर्धारित सहपत्रों सहित प्रत्येक वर्ष के अनधिक मई माह के प्रथम दिन आयुक्त समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। लेखा का वार्षिक अंकेक्षण।

भाग - छः

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के बन्द होने पर सम्पत्ति एवं प्रबन्धन का अधिग्रहण

53. कथित अधिनियम में विहित प्रावधानों को छोड़कर अन्य कोई भी निजी संस्थान पूर्णतः या अंशतः बन्द या निरन्तरता क्रमबाधित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि, संगठन के अकादमिक वर्ष से कम से कम एक वर्ष पूर्व इस आशय की सूचना प्रबन्धन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को नहीं दी गई हो। विना सूचना के अशासकीय संस्थान को बन्द आदि नहीं किया जायेगा।
54. संस्था के बन्द होने, निरन्तरता-क्रम बाधित होने या अनुमति एवं मान्यता को वापस लेने की स्थिति में प्रबन्धन संस्था उनके अधीन निहित सारी सम्पत्ति, सभी दस्तावेजों तथा लेखाओं को सक्षम प्राधिकारी को सुपुर्द करेगा या सुपुर्दगी करायेगा। अशासकीय संस्थान के बन्द होने पर प्रबन्धन द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सम्पत्ति इत्यादि के अभिलेख आदि का सौंपना।
55. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निजी संस्था की किसी भी सम्पत्ति को बेचा नहीं जायेगा, बन्धक नहीं रखा जायेगा, फूटे पर नहीं दिया जायेगा, गिरवी नहीं रखा जायेगा या अधिकार में परिवर्तन या निर्माण नहीं किया जायेगा सिवाय इसके कि, इस बारे में आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति हो ; अशासकीय संस्थान की सम्पत्ति के अन्य संक्रमण पर निर्बन्धन।
- (2) (क) ऐसी स्थिति के सिवाय, जबकि उसकी राय में ऐसी स्वीकृति संस्था के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव डालेगी, उपधारा-(1) में स्वीकृति के लिए किया गया आवेदन सक्षम अधिकारी के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (ख) सक्षम प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की समयावधि के भीतर स्वीकृति के लिए प्राथित आवेदन को स्वीकृत करते हुए आदेश पारित करेगा।
- (3) उपधारा-(2) के अधीन अस्वीकृति के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति वैसी विधि से और उतने समय में जैसा कि, निहित किया जाये, विहित अधिकारी को अपील कर सकता है ;
- (4) उपधारा-(1) के विरुद्ध किया गया कोई भी लेन-देन अमान्य और विधि विरुद्ध माना जायेगा।
56. शासन की ऐसी शर्तों के अधीन जैसा वह जारी कर सकता है, लिखित आदेशपूर्वक ऐसी भवन या भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दे सकता है यदि :— अन्य संकामण की अनुमति।
- (1) हस्ताक्षरण शैक्षिक संस्था के प्रयोजनों के विस्तार या उससे जुड़े हुए आनुषांगिक प्रयोजनों के लिए जो

शासन द्वारा अनुमोदित है तथा ऐसे हस्तांतरण से प्राप्त परिलब्धियों का उपयोग पूरी तौर पर कथित प्रयोजनों के लिए किया जाना है ;

- (2) उपरिंकथित प्रयोजनों के विस्तार के लिए हस्तांतरण केवल अंशतः किया गया है बशर्ते कि, शासन के द्वारा निर्देशित अनुसार ऐसे आंशिक हिस्से का भुगतान शासन को किया जाना है ;
- (3) हस्तांतरण अन्य वैध कारणों से किया गया है, बशर्ते कि, इस कथित अधिनियम के अधीन प्रावधित अनुदान की पूरी राशि का प्रतिसंदाय शासन को किया गया है.

कतिपय प्रकरणों के लिए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु प्रबन्धन का दायित्व.

57. जहां कोई प्रबन्धनकर्ता ऐसी संस्था के प्रबन्धन के द्वारा प्रदत्त समुचित प्राधिकार के बिना संस्था को चलाने के निमित्त ऋण प्राप्त करता है और जहां सक्षम प्राधिकारी जांच के बाद यह पाता है कि, ऐसे ऋण के द्वारा प्राप्त रकमों का उपयोग संस्था के चलाने के लिए नहीं किया है वहां कथित ऋणों के भुगतान का व्यक्तिगत दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धनकर्ता का होगा.

विवरणियों आदि को प्रस्तुत करना.

58. प्रत्येक शैक्षणिक संस्था उतने समय में, या बढ़ाये गये समय जैसा कि, इस बारे में सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे, सक्षम प्राधिकारी को वे विवरणियां, सांख्यिकीय आंकड़े और ऐसी अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करेगी, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो.

प्रवेश, निरीक्षण और सूचना प्राप्त करने का अधिकार.

59. सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अध्याय में वर्णित किसी भी सम्पत्ति के अधिग्रहण या कब्जे के प्रयोजन से आदेशपूर्वक-
 - (क) अधिनियम के अधीन अधिग्रहीत किये जाने या कब्जे में लेने योग्य आदेश में विशिष्टीकृत किन्हीं भी सम्पत्ति में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने का अधिकार किसी भी प्राधिकारी को दिया जा सकता है.
 - (ख) ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार में निहित ऐसे किन्हीं भी अभिलेख/सूचना को प्रस्तुत करने बाध्य किया जा सकता है जो आदेश में विशिष्टीकृत सम्पत्ति से सम्बन्धित हो.

शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के निहित पदों को इस अध्याय के तहत कुछ उद्देश्यों के लिए एक इकाई माना जायेगा.

60. इस अध्याय के अधीन शैक्षणिक संस्था के प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के शासन में निहित पद बरिष्ठता, उन्मोचन, पदाभाव के कारण पदावनति, परिचोक्षाधीनों की पुनर्नियुक्ति और अनुमोदित परिचोक्षाधीनों तथा पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के प्रयोजनों से एक पृथक इकाई होगी.

भाग - सात

सहायता-अप्राप्त महाविद्यालयों को तदर्थ सहायता अनुदान

तदर्थ अनुदान.

61. तदर्थ सहायता अनुदान का तात्पर्य है, शासन की राज्य निधि से अलग वार्षिक अ-वार्षिक सहायता, जिसे उच्च शिक्षा के ऐसी मान्यता प्राप्त गैर-अनुदान संस्थाओं को नीचे निर्धारित शर्तों पर सहायता के योग्य पाए जाने पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दिया जायेगा :-

- (एक) भवन का विस्तार— विशेष रूप से शौचालय, सफाई-गृह, अध्ययन कक्ष, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला भवनों, छात्रा-कक्ष और स्टॉफ रूम इत्यादि के लिए ;
- (दो) शैक्षणिक अथवा तकनीकी प्रयोजन के तहत उपकरण एवं यंत्र क्रय करने हेतु ;
- (तीन) मूल सन्दर्भ के महत्व की पुस्तकों के क्रय हेतु ;

- (चार) ग्रन्थालय के लिए रैक और आलमारी के क्रय हेतु ;
- (पांच) कम्प्यूटर आधुनिक शिक्षोपकरण, शुद्ध जल की सुविधा प्रदान करने हेतु या जल आपूर्ति तथा नाली-पद्धति हेतु क्रय के लिए ;
- (छः) कक्षाओं हेतु फर्नीचर के लिए ;
- (सात) धारा 15 के (3) के अन्तर्गत प्रावधानित प्रयोजन हेतु ;

परन्तु अनुदान को नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु निर्धारित मूल-शर्तों की पूर्ति हेतु नहीं दिया जायेगा तथा केवल विकासशील संस्था की वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लाया जायेगा.

62. आवेदन के इच्छुक संस्थान-

तदर्थ अनुदान हेतु पात्रता की शर्तें.

- (क) ने संकाय के प्रथम वर्ष में प्रविष्ट छात्रों के सत्र से पांच वर्ष पूर्ण कर लिया हो ;
- (ख) की छात्रों की संख्या -
- (एक) शहरी क्षेत्रों के मामले में तीन सौ; से कम न हो
- (दो) अनुसूचित क्षेत्र के, महिला महाविद्यालयों के एवं ऐसे क्षेत्र जहाँ 25 किलोमीटर की परिधि में उच्च शिक्षा की ऐसी संस्था न हो, के प्रकरण में एक सौ पचास ; से कम न हो
- (ग) शैक्षणिक कर्मचारियों की यथासम्भव यू. जी. सी. वेतनमानों के अनुसार तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की शासकीय वेतनमानों के अनुसार वेतन प्रदान करता हो ;
- (घ) सम्बन्धित महाविद्यालय शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों दोनों के वेतन-पत्रक तदर्थ अनुदान की अर्हता के लिए प्रमाण की तरह प्रस्तुत करेगा.

63. कोई संस्था -

- (क) जो इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों या किसी अन्य विधि का अनुपालन न कर पाये ; निरर्हता.
- (ख) विश्वविद्यालय या आयुक्त कार्यालय द्वारा, जिस पर सामूहिक नकल का दोषारोपण हो या अन्य प्रकार का कदाचरण जो संस्था की ख्याति को प्रभावित करता हो, तदर्थ सहायता अनुदान की पात्र नहीं होगी.

64. अनुदान पर विचार करते समय इन संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी -

प्राथमिकता.

- (क) जो अनुसूचित क्षेत्रों से ;
- (ख) जो केवल महिलाओं की शिक्षा हेतु हों ;
- (ग) जो ऐसे अधिसूचित विकासखण्ड से हों, जहाँ अभी तक उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं हो ;

- (घ) जो प्रबन्धन में जन-निजी भागीदारी के अन्तर्गत स्थापित हो, और जिसमें संस्था की चल और अचल सम्पत्ति का कम से कम 30 प्रतिशत भाग जनता की अंशधारिता के रूप में हो।
- (ङ) जो व्यवसायिक या अनुप्रयुक्त विषय और पाठ्यक्रम के पूर्ण सेटअप में स्थापित और संचालित हो।
- तदर्थ अनुदान की सीमाएं 65. (1) शासन अधिकतम 5 लाख रुपये तक अनुदान मंजूर कर सकता है जो इस शर्त के अधीन है कि, किसी एक मद के लिए 2 लाख रुपये से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- (2) ऐसी संस्था, जिसे अनुदान स्वीकृत हुआ है, जब तक अनुदान स्वीकृति के तीन वर्ष पूर्ण नहीं कर लेता अगले अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- (3) संस्वीकृति की राशि का निर्णय आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित योजना की पात्रता और औचित्य के आधार पर विभाग या शासन करेगा।
- (4) अनुदान के आकार, स्वरूप एवं राशि के निर्णय का पूर्ण अधिकार शासन को होगा।
- (5) बिना कारण बताये आवेदन को अंशतः या पूर्णतः स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार शासन को होगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा।
- तदर्थ अनुदान हेतु आवेदन 66. कोई भी संस्थान शर्तों को पूरा करने की स्थिति में 31 अक्टूबर तक आयुक्त, उच्च शिक्षा को सम्बोधित करते हुए निर्धारित प्ररूप में तदर्थ सहायता अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- तदर्थ अनुदान स्वीकृति पर उत्तरदायित्व 67. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन :-
- (1) क्रय करने हेतु शासन के भण्डार क्रय नियम, 2004 लागू किया जायेगा।
- (2) तदर्थ अनुदान की वस्तुओं के लिए अलग से पंजीबनायी जायेगी, जिसमें सभी क्रय का इन्द्राज आवश्यक रूप से अभिलेखबद्ध किया जायेगा।
- (3) तदर्थ अनुदान के व्हाउचर और सम्बन्धित अभिलेखों को अलग से रखा जायेगा तथा जब विभाग का संपरीक्षक (ऑडिटर) और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।
- (4) तदर्थ अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि के उपयोग अथवा खर्च को उन्हीं मदों तक स्वीकृत रखा जायेगा जिन अनुमोदित योजनाओं/मदों की अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा ने तदर्थ अनुदान स्वीकृत करते समय दी थी।
- (5) तदर्थ अनुदान से जो सम्पत्ति अर्जित की गई है, या उससे जो वस्तुएं खरीदी गई हैं, उनका शासन के प्राधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- (6) तदर्थ अनुदान का उपयोग जिन मदों के लिए स्वीकृत किया गया है, उसे छोड़कर वेतन के भुगतान आदि या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।
- (7) तदर्थ अनुदान के उपयोग के खर्च का विवरण संस्था द्वारा व्हाउचर और संपरिक्षित (ऑडिट किये हुए) खाता सहित स्वीकृत आदेश में अनुज्ञात उपयोग की अवधि की समाप्ति के तीन महीने के भीतर आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजना होगा।

- (8) जो राशि या रकम खर्च करने से शेष है, उसे संस्था द्वारा शासन को इस धारा की उपधारा-(7) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर तत्काल वापस किया जायेगा.

भाग - आठ
विविध प्रावधान

68. (1) अधिनियम के किन्हीं या सभी प्रयोजनों को लागू करने के लिए शासन अधिनियम के द्वारा नियमों को बना सकता है. नियम बनाने की शक्ति.
- (2) विशेष रूप से और बिना पूर्ववर्ती उपधारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम उपबन्धित किये जा सकते हैं :—
- (एक) वह पद्धति, जिसमें इस अधिनियम के तहत कोई जांच होगी ;
- (दो) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित महाविद्यालयों के द्वारा पंजियों, विवरणों, प्रतिवेदनों और विवरणी, लेखों, आय-व्ययक एवं अन्य जानकारियों को संधारित या प्रस्तुत किया जाना ;
- (तीन) शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, संधारण और प्रशासन ;
- (चार) शैक्षणिक संस्थाओं को अनुमति प्रदान करना और उसके लिए शर्तों को निर्धारण.
- (पांच) शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क की दरों, उगाही एवं संग्रहण का विनियमन करना ;
- (छः) शैक्षणिक संस्थाओं में लेखा, पंजियों, आलेखों और अन्य दस्तावेजों के संधारण की पद्धति तथा ऐसे अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकृत व्यक्ति ;
- (सात) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निरीक्षण एवं वे अधिकारी, जिनके द्वारा निरीक्षण किया जायेगा ;
- (आठ) ऐसी संस्थाओं के लेखा के रख-रखाव और अंकेक्षण की पद्धति ;
- (नौ) शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा और अध्ययन के पाठ्यक्रम का स्तर ;
- (दस) छात्रवृत्तियों, वजीफों, शुल्क में छूट इत्यादि के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान की राशि के प्रावधान विषयक ;
- (ग्यारह) सामान्य शिक्षा संस्थाओं के विकास की योजना तैयार करना. ऐसी योजनाओं की विषय सामग्री का निर्धारण तथा प्रस्तुत किया जाना ;
- (बारह) उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी और अन्य अधीनस्थों के कार्यों एवं अधिकारों का निर्धारण;
- (तेरह) स्थानीय निक्कायों तथा निजी संस्थाओं के लिए भवन निर्माण की योजनाओं और प्रावक्तलों तथा भवन के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं की तैयारी तथा स्वीकृति विषयक ;

- (चौदह) वे प्रयोजन जिनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर का उपयोग किया जा सकता है तथा वे प्रतिबन्ध और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे परिसरों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है ;
- (पन्द्रह) शैक्षणिक संस्था में पाठ्य पुस्तकों, मानचित्र, योजनाओं, उपकरणों, प्रयोगशाला तथा खेलकूद के उपकरणों के उपयोग का विनियमन ;
- (सोलह) शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, अस्संस्थागत अध्ययन, अन्य विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा उपस्थिति का विनियमन इत्यादि ;
- (सत्रह) अधिनियम के अधीन नियत अधिकारियों के द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश के लिए पूर्ण की जाने वाली आवश्यक अर्हताएं और अन्य शर्तें तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की पद्धति ;
- (अठारह) संस्था के अन्तर्गत कक्षाओं और सत्रीय परीक्षाओं के परिचालन की पद्धति ;
- (उन्नीस) वे शर्तें जिनके अधीन जनता से दान अथवा अंशदान, शैक्षणिक संस्था द्वारा स्वीकृत किया जा सके तथा संस्थाओं के नामकरण की नीति के सम्बन्ध में ;
- (बीस) शैक्षणिक संस्थाओं में सह-शिक्षा की शर्तें एवं छात्रों के अनुशासन एवं आचरण सम्बन्धी विनियमन और अनुशासनहीनता तथा कदाचार के लिए दण्ड के सम्बन्ध में ;
- (इक्कीस) सूचनाएं, आदेश तथा अन्य कार्यविधियों के प्रस्तुतीकरण की पद्धति और उनके सम्बन्ध में शुल्क तथा तद्विषयक कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का निर्धारण ;
- (बाइस) किसी प्रमाण-पत्र अथवा अन्य दस्तावेज, जिसके लिए शुल्क लिया जाना हो, के सम्बन्ध में भुगतान या शुल्क के निर्धारण की पद्धति के सम्बन्ध में ;
- (तेइस) राज्य स्तर की शैक्षणिक परिषदों के गठन, उनकी संरचना और उनके प्रकारों का निर्धारण ;
- (चौबीस) वे सभी विषय जो कथित अधिनियम की आवश्यकतानुसार निर्धारण के लिए प्रकटतः अनुज्ञप्त या वांछित हैं, या जिनके सम्बन्ध में अधिनियम में अपर्याप्त प्रावधान है या प्रावधान का अभाव है, और जिस पर शासन की राय में कथित अधिनियम की समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है.

शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण.

69. (1)

शासन या सक्षम अधिकारी किसी भी ऐसे अधिकारी को जो निरीक्षण के लिए निर्धारित स्तर से नीचे के पद का न हो, राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्था के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत कर सकता है.

(2)

उपधारा-(1) से प्राधिकृत अधिकारी शैक्षणिक संस्था की कार्यप्रणाली पर निरीक्षण के सामान्य अधिकारों का प्रयोग करेगा.

- (3) शैक्षणिक संस्था का प्रबन्धन और कर्मचारीगण सभी संगत-समयों पर ऐसी सहायता और सुविधाएं पूर्वालिखित अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे जैसे कि, ऐसे निरीक्षण के लिए वांछित हो।
- (4) प्रबन्धक ऐसे निर्देशों अथवा सुझावों का अनुपालन करेगा जैसा कि, दिया गया है, बशर्ते कि, ऐसे निर्देशों व सुझावों से व्यथित प्रबन्धन ऐसे निर्देशों अथवा सुझावों की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर निर्धारित अधिकारी को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय ऐसी अपील पर अंतिम होगा।

70. कथित अधिनियम के अधीन कोई भी नियम पूर्ववर्ती प्रभाव से बनाया जा सकता है और जब भी ऐसा नियम बनाया जायेगा तब एक वक्तव्य से नियम बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जायेगा, जिसे कि, विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
71. शासन या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या अधिनियम द्वारा या अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन के लिए संशक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कथित अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अधीन सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अधियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।
72. तत्समय प्रवृत्त किन्हीं भी अन्य अधिनियमों, नियमों, आदेश में अन्तर्विष्ट किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील होंगे :-

कतिपय प्रकारगणों में नियमों की रचना।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना, प्रबन्धन तथा कार्यों को शासित करने वाले सभी अधिनियम तथा नियम जो अधिनियम के निगमन होने की तिथि पर प्रचलित थे, वे उच्च शिक्षा की विभिन्न श्रेणियों की अशासकीय संस्थाओं के सम्बन्ध में उस सीमा तक प्रभावशील रहेंगे जिस सीमा तक वे अधिनियम के प्रावधानों के सम्पुष्ट करते हैं।

73. अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी राज्य शासन सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि उसे आरोपित करना उचित प्रतीत हो अथवा इनके बगैर किसी संस्था या संस्थाओं की श्रेणी को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं प्रावधानों से मुक्त कर सकता है ;

इस अधिनियम के प्रावधानों से किसी भी संस्था को मुक्त करने की शक्ति।

परन्तु ऐसे किसी भी आदेश में पूर्व उल्लिखित शर्त आरोपित करने या मुक्त करने के आधार का स्पष्टीकरण होगा।

74. अधिनियम के अधीन किसी भी संस्था के प्रबन्धन द्वारा जमा की जाने योग्य किसी भी राशि के निर्धारित अवधि में जमा नहीं किये जाने की अवस्था में ऐसी संस्था के प्रबन्धन से वह राशि उसी तरह वसूली जायेगी, जैसी कि भू-राजस्व के वकाये की वसूली की पद्धति है।
75. अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो शासन अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत आदेश द्वारा कठिनाई का निवारण कर सकता है,

कतिपय राशियों की भू-राजस्व के शेष की तरह वसूली।

कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति।

परन्तु अधिनियम के आरम्भ होने से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11926/290/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्र. 25 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 25 of 2006)

**THE CHHATTISGARH NON-GOVERNMENT COLLEGES AND INSTITUTIONS IN
HIGHER EDUCATION (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2006**

CONTENTS

CHAPTER I— PRELIMINARY

SECTION:

1. Short Title and commencement
2. Application of the Act
3. Definitions

**CHAPTER II - ESTABLISHMENT OF NON-GOVERNMENT
COLLEGES AND INSTITUTIONS IN HIGHER EDUCATION**

4. Non-government colleges and institutions of higher education not to be established except after permission
5. Special provisions in respect of existing institutions
6. Permission for establishment of educational institutions
7. Application for grant of permission
8. Corpus fund
9. Extent of land and accommodation to be provided
10. Requirement as to location of the institution
11. Inspection
12. Grant of permission
13. No permission for up gradation
14. Application for initiating further new courses, facilities and classes
15. Special incentives in certain cases
16. Permitted institutions to seek affiliation from concerned University
17. No affiliation without permission
18. Restriction on shifting and transfer of permitted institutions

19. Withdrawal of permission
20. Control over examination system
21. Restriction on change of nature
22. Regulation of admission
23. Fee structure
24. Restriction on commercial use of land and building
25. Restriction on the use of income
26. Constitution of the cell

**CHAPTER - III RECRUITMENT, PROMOTION AND SERVICE
CONDITIONS ETC. OF TEACHERS AND EMPLOYEES IN
AIDED INSTITUTIONS**

SECTION:

27. Recruitment of teachers and employees
28. Promotion
29. Service condition

CHAPTER- IV GRANT -IN - AID

30. Grant in aid
31. Types of grant
32. Application for grant
33. Form and declaration of grant
34. Sanctioning authority for grant
35. Restrictions as to assistant grant on salary
36. Audit
37. Power to with hold, withdraw, suspend, reduce or recover the grants
38. Lapse of grant

**CHAPTER -V INSTITUTIONAL FUNDS, ACCOUNTS AND
PROCEDURE FOR PAYMENT OF SALARIES IN SALARY
AIDED COLLEGES**

39. Existing set up to be preserved
40. Educational institution receiving grant in aid not to be discontinued
41. Payment of dearness allowance
42. Management of institution receiving grant
43. Constitution of institutional fund
44. Operation of fund
45. Pass book
46. Teachers and other employees to open two accounts
47. Checking of bills prior to signature
48. Provision for pay slip to teachers and employees
49. Fees
50. Account of fees retained to be maintained separately

51. Maintenance of account
52. Annual audit of accounts

CHAPTER - VI ON CLOSURE, REQUISITION OF PROPERTY
AND MANAGEMENT OF AIDED COLLEGES.

53. Non-government institution not to be closed down etc. without notice
54. Management to hand over properties, records etc. to competent authority on closure etc. of non-government institution
55. Restriction on alienation of property of non-government institution
56. Permission to alienation
57. Liability of management to repay debts incurred in certain cases
58. Furnishing of returns etc.
59. Powers of entry and inspection and calling for information
60. Posts of employees of educational institutions vested under this chapter to be treated as a unit for certain purposes

CHAPTER-VII AD-HOC ASSISTANCE GRANT TO NON-
AIDED COLLEGES

61. Ad-hoc grant
62. Eligibility for ad-hoc assistance grant
63. Disqualification
64. Priority
65. Limitations to grant
66. Application for the grant
67. Liability on accepting grant

CHAPTER -VIII MISCELLANEOUS PROVISIONS

68. Power to make rules
69. Inspection of educational institutions
70. Laying down of rules in certain cases
71. Protection of acts done in good faith
72. Savings and repeal
73. Power to exempt any institution from the provision of the Act
74. Recovery of certain sums as arrear of land revenue
75. Power to remove difficulties

CHHATTISGARH ACT
(No. 25 of 2006)

THE CHHATTISGARH NON-GOVERNMENT COLLEGES AND INSTITUTIONS IN
HIGHER EDUCATION (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2006

An Act to provide for regulation of the establishment and working of the Non-Governmental Colleges and Institutions of Higher education.

Be it enacted by the Legislature of the State of Chhattisgarh in the fifty seventh year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. *Short Title and Commencement:*

- (1) This act may be called "the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) Act, 2006"
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

2. *Application of the Act:*

This Act applies to all the private colleges and/or the institutions of Higher Education aided in full or in part or unaided by the Government of Chhattisgarh and situated within the state of Chhattisgarh imparting general education within the concept of University Grants Commission and under recognition from the Department of Higher Education of the State Government.

3. *Definitions:*

In this Act, unless the context otherwise requires;—

- (1) "*Ad-hoc grant*" means the grant sanctioned by the State Government with regard to certain specified purposes under the provisions made therefor;
- (2) "*Aided College*" means any college or institute aided financially regularly by the maintenance grant sanctioned by the Government of Chhattisgarh;
- (3) "*College Code*" means the provisions contained under statue No. 28 of the Chhattisgarh

Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No.22 of 1973);

- (4) "*College*" means a private, aided or non-aided institution of teaching duly maintained by or admitted to the privileges of the University by or under the provisions of Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973, running with the institutional title of a college or being other than the 'College', but by nature, working, scope and criteria, which falls within the concept of a college in Higher Education;
- (5) "*Commissioner*" means the Commissioner of Higher Education or the officer of authority to whom powers have been delegated on his behalf by the Government or by the Commissioner;
- (6) "*Competent Authority*" means an authority specified as a Competent Authority by the Government by notification to perform the function of the Competent authority under the Act for such area or for such purposes as may be specified in the notification;
- (7) "*Educational Agency*" means the educational committee, society, trust or association sponsoring, managing, administering, controlling, or running a non-Government educational institution in higher education, unless other wise specifically mentioned;
- (8) "*Employee*" means a member of the staff, teaching or non-teaching, employed by a college or an institution of higher education, whether aided or non-aided;
- (9) "*Foundation Society*" means a body of persons registered or incorporated by law for registration and statutory incorporation, which funds and maintains an educational institution admitted to seeking admission to the privilege of the University and where the governing body of this society is superseded under section 33 of the Chhattisgarh Society Registrickaran Adhiniyam, 1973 the person or persons appointed by the State Government to manage the affairs of the society;

- (10) "*General Education*" means every branch of education other than technical education and includes special education;
- (11) "*Governing body*" means the governing body constituted in accordance with the provision of the college code statute;
- (12) "*Government*" means, unless specified otherwise, the Government of Chhattisgarh.
- (13) "*Grant*" means the financial grant provided by the State Government to the educational institutions to promote and maintain academic standards and infrastructure by way of maintenance (salary) grant, ad-hoc grant, or in any other shape as the case may be;
- (14) "*Higher Education Department*" means the Department of Higher Education functioning under the Government ;
- (15) "*Inspection*" means the scrutiny of records, registers and checking of physical specifications as determined by the Competent Authority in regard to building, libraries, laboratories, playgrounds and other allied matters and overall appraisal of the educational institutions and its functionaries in the development of the institution;
- (16) "*Institution*" means College;
- (17) "*Maintenance/Salary Grant*" means the grant payable regularly for the teachers and employees of the aided colleges by the State Government for their salaries and allowances etc.;
- (18) "*Management*" means in relation to any institution, the governing body there of within the meaning of the Chhattisgarh Society Registration Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), and the expression management of the institution shall be construed accordingly;
- (19) "*Non Government College*" means a college managed and run by any group of the persons, trust, or society beyond the direct administrative control of the Government;
- (20) "*Non-aided College*" means a college other than the aided college or institution;

- (21) "*President of the foundation Society*" means a person who is duly elected as its president (by whatever name called) by the foundation society and is the exclusive head thereof and when the society is superseded under section 33 for the Society Registration Adhiniyam, 1973 the person or the head of the body of the persons appointed by the State Government to manage the affairs of the society;
- (22) "*Teacher*" means any member of the teaching staff in an education institution appointed to give instruction in that institution;
- (23) "*University*" means a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or State Act, and includes any such institution as may, in consultation with the University concerned, be recognised by the Commission in accordance with the regulations made in this behalf under the University Grants Commission Act, 1956 and working under the jurisdiction of the State of Chhattisgarh.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF NON-GOVERNMENT COLLEGES AND INSTITUTIONS IN HIGHER EDUCATION

4. Non-Government Colleges and Institutions of Higher Education not to be established except after permission:

No educational institution shall be established except in accordance with the provisions of this act and any person who contravenes the provisions of this section or who after the permission granted to him under this section having been cancelled continues to run such institution shall be punished with simple imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than three thousand rupees but which may extend up to fifty thousand rupees.

5. Special provisions in respect of existing institutions:

The institutions imparting education, which were established and recognised in accordance with rules in force immediately before the commencement of the said act and in existence at such commencement shall be deemed to be educational institutions, established and

recognized under the said Act, provided that they comply with the provisions of the said act and the rules made there under, within such period and in accordance with such procedure as may be prescribed;

Provided that any private institution imparting education which is in existence at the commencement of the said Act but which has not been recognized in accordance with the rules in force immediately before such commencement, shall make an application for recognition in accordance with the provisions of the said Act and the rules made there under and every such application shall be disposed of within sixty days of its receipt by the Competent Authority.

6. Permission for establishment of educational institutions:

The competent authority shall, from time to time, conduct a survey as to identify the educational needs of the locality under its jurisdiction, and notify in the prescribed manner through the local newspapers calling for applications for permission to,—

- (a) establish an institution imparting education; or
- (b) open higher classes in an institution imparting higher education; or
- (c) open new course (Certificate, Diploma, Degree, Post- Graduate Degree Courses, etc.).

7. Application for grant of permission:

Any society registered under the provisions of the Chhattisgarh Society Registrickaran Adhiniyam, 1973 desirous to open a college may make an application, in the manner prescribed on this behalf, not later than the 31st October of the year preceding the academic year in which the institution is proposed to be opened, to the Commissioner along with,—

- (a) the proof of registration of the society;
- (b) the details of the management and the managing body concerned;
- (c) the details of the funds available with the society supported by their respective proofs;
- (d) the details of the land and buildings having space for office, classrooms, laboratories, common-room, games and sports etc. with basic amenities as of toilets, water and electricity. Documented proof in support of ownership, hire or lease should be

- submitted. It should be ensured that such provisions are made for at least five years;
- (e) the details of immovable property required to run the institution, such as furniture and equipments for the office, classes, laboratories, common-room etc;
 - (f) constitution of the incorporated body which should necessarily contain along with its other provisions, the description of management and its committees and the rules and regulations, procedures for administrative and financial management of the proposed institution;
 - (g) a copy of the tentative budget for three years showing the proposed revenue and expenditure;
 - (h) a copy of the proposed faculties and classes;
 - (i) permission of the competent authorities for land acquired and the buildings for constructions with approved plans;
 - (j) availability of facilities of higher education within a radius of 20 km. of the area proposed;
 - (k) availability of the proposed courses in the institutions within the area proposed;
 - (l) feasibility report as to:-
 - (i) need for providing educational facilities to the people in the locality;
 - (ii) adequacy of financial provisions for continued and efficient maintenance of the institution as prescribed by the Competent Authority;
 - (iii) location is sanitarily fit with healthy surroundings.

8. *Corpus Fund:*

- (1) The corpus fund (endowment) as may be prescribed, shall be deposited by the educational agency according to the procedure prescribed before the Commissioner of Higher Education accords permission for establishment of the institution.
- (2) The educational agency of the private institution shall deposit the corpus fund (endowment) in the joint account of the management and the Government represented by the Commissioner of

Higher Education concerned, in any nationalized bank. Under no circumstances, the corpus fund deposited shall be permitted to be withdrawn. The Government may, however, permit the educational agency, to utilize the interest part, for the development of the institution every five years.

However, in exceptional cases the educational agency, may request the Commissioner of Higher Education to reduce this time interval to three years.

Nevertheless, this period in any case shall not be less than three years, with certain laid down conditions.

9. *Extent of land and accommodation to be provided:*

The extent of land and accommodation to be provided by the educational institutions shall be as prescribed.

Furthermore, the educational agency shall provide suitable buildings for accommodating the proposed institution as per the specifications laid down by the State Government.

10. *Requirements as to location of the institution:*

It shall be mandatory for the educational agency to have its own permanent structure on its own land.

However, if it is not possible then the educational agency, may request the Commissioner of Higher Education, who may permit after noting down the reasons;-

- (a) If the institution is proposed to be located within the premises of an institution belonging to the zila panchayat or the municipality concerned, the educational agency shall get the prior permission of the zila panchayat or the municipality concerned, as the case may be, to locate the proposed institution and to utilize the facilities like accommodation, furniture, library, laboratory, playground, etc. belonging to the already existing institution until separate accommodation etc. are provided for the proposed institution. The educational agency shall send the letter of permission along-with the application for the establishment of the institution. The educational agency shall take necessary steps to provide necessary accommodation and other facilities exclusive for the proposed institution, at the earliest;

However, it shall be mandatory for the educational agency to provide separate accommodation to the institution being run by it within five years. In case the educational agency fails to provide the said facility within the stipulated time, the permission granted to run the institution shall stand withdrawn automatically.

However, it shall be at the discretion of the educational agency as to which institution it wants to run at the said venue;

- (b) If the private institution is proposed to be located in a private accommodation, the Commissioner of Higher Education may permit the educational agency to do so provided that a lease hold building suitable for accommodating the institutions is acquired and that a lease-deed for a period of not less than five years is produced. The educational agency shall also produce documentary evidence to show that they have the requisite land and funds to construct the buildings and that they are prepared to construct the said buildings within a period of ten years at the latest;
- (c) If the private educational institution is proposed to be located within the premises of an already existing institution, the educational agency shall provide necessary accommodation and other facilities like furniture, library, laboratory, etc. exclusively for the use of the proposed institution, as per the specifications laid down by the Department of Higher Education and or University concerned;
- (d) If the institution is proposed to be located in a building donated by a donor, then the necessary documentary proof shall be produced;
- (e) If the institution is proposed to be located in a place not covered by any of the clauses cited above, then the decision of the Commissioner of Higher Education shall be final;
- (f) Priority shall be accorded to the educational agency who wants to open institutions of higher learning in the following areas:-

- (i) Blocks where there are no facilities for higher education;
- (ii) Remote areas of the state not accessible;
- (iii) Inter state border areas where educational institution do not exist on either side;
- (iv) Physical distance exceeds 30 km. from the next existing seat of higher learning. However, in exceptional cases the distance could be reduced to 20 km.;
- (v) Tribal blocks where the population of the Scheduled Tribes exceeds 50%.
- (vi) Urban areas where higher educational institutions do not exist in consonance with population density;
- (vii) Where literary rate is very low with special reference to percentage of literacy in higher education for women;
- (viii) Where the educational agency plans to start residential colleges in the tribal blocks.

However, the educational agency can approach the Government for private public participation for starting residential colleges in the tribal blocks.

11. Inspection:

The Competent Authority, on being satisfied with the contents of the application shall nominate a committee of experts in the manner prescribed, to inspect the proposed institution of higher education within 45 days of the receipt of the application. In order to find out the extent of fulfilment of the conditions prescribed on a convenient date to both the parties, the committee shall visit the institution and will submit its report within a month giving its findings and remarks so as to grant permission or not. Further, the report shall also specifically state the subjects, course of study, the number of students for admission and the conditions if any, which may be stipulated while granting, or for granting the permission.

12. Grant of Permission:

- (1) On receipt of inspection report recommending grant of permission, the Competent Authority shall proceed to grant permission unless it is satisfied that there exists circumstances justifying refusal of permission:

Provided that if the Competent Authority proposes to differ with the inspection report recommending grant of permission, it shall be obligatory for him to give reasonable opportunity of hearing to the applicant, before taking final decision of refusal.

- (2) In case the Competent Authority decides to grant permission, it shall initially accord letter of intent subject to fulfillment of such conditions as may be prescribed in the stipulated time. However, this shall in no case extend beyond 31st May of the concerned year. The concerned education agency shall inform the Competent Authority about having taken care of the deficiencies enumerated in the letter of intent. Further, the said agency shall request for a final inspection, to grant permission for starting the institution from the ensuing academic session. Thereafter, the educational institution shall approach the concerned University for affiliation immediately after procuring the permission of the Competent Authority.
- (3) In case the educational agency requests for relaxation in time to fulfill the requirements, then it shall be at the discretion of the Commissioner of Higher Education to do so after getting a report from a person or persons appointed for the purpose by the Competent Authority.

However, the Competent Authority shall direct the person or persons appointed to submit a report every year regarding the fulfillment of progress of the concessions granted for the said purposes and in case the progress is not found satisfactory continuously for three years the permission granted shall stand withdrawn forthwith by issuing notice.

**13. No permission
for up gradation:**

No permission shall be granted for the establishment of an educational institution by way of upgradation of a higher secondary school into degree college; however, with the prior approval of the Commissioner of Higher Education, it can be permitted to be established within the premises of an existing institution provided the educational agency is

14. Application for initiating further new courses, faculties and classes:

prepared to provide the prescribed requirements like accommodation, furniture, library, laboratory and other facilities exclusively for the proposed class or category of institution.

No application for initiating further new courses, faculties and classes will be considered until the end of the third year from the date of incorporation of the newly established institutions.

However, the Competent Authority may accord permission for opening additional sections or courses subject to the availability of various physical facilities like accommodation etc, required for the proposed additional sections or courses after three years from the date of incorporation.

15. Special Incentives in certain cases:

The Competent Authority on application from the educational agency for cases cited under section 10 (f) shall, -

- (1) Grant concession of 50% on value of immovable properties or corpus fund fixed as a norm in general cases for a period not exceeding three years from the date of granting permission by the Government in cases where, -
 - (i) the institution proposed is being established in a notified rural tribal area; and
 - (ii) no institute of higher education, general or vocational, within radius of 20 km. of the proposed location. However, an application for obtaining the rebate mentioned herewith shall have to be made by the respective management committee.

The Government in cases of the notified blocks and

(2) The Government, in cases of the tribal blocks and of the notified blocks where facilities for higher education do not exist within a radius of 50 km may further consider proposal for opening of or running a new college within the premises of any existing higher secondary school either owned by the Government or by a private body, duly registered in accordance with the provisions of the said Act, subject to the conditions that-

- (i) accommodation, furniture and other educational facilities are available;

(ii) permission from such existing institution as is aforementioned in sub-section (1) is produced with the proposal .

(3) Moreover, the Government may consider giving concessions for the following, provided the educational agency has at least 15 acres of land registered with the society, however, if the area where the institution is to be opened is in tribal areas then at least 5 acres of land should be registered with the society;

(i) 50% of the total expenditure for administrative buildings, class rooms, hostels, sports complex, and laboratory, as per the estimate of public works department or any approved agency by the State or Central Government and the buildings being constructed by public works department;

(ii) 100% of the salary of the teachers appointed as per University Grant Commission norms which shall be mandatory initially for a period of ten years;

(iii) 50% of the cost of equipments purchased for vocational courses started;

(iv) 100% of the cost of relevant course books purchased for vocational courses;

However, the above concession shall not be applicable for institutions that want to run traditional courses.

Further more, a committee whose chairman shall be the collector of the district under which the institution falls shall nominate the concession enumerated above. The issuance of the concession granted every year shall only after the receipt of the utilization certificate counter signed by the chairman of the monitoring committee.

16. Permitted institutions to seek affiliation from concerned University:

The institution having obtained the permission from the Government shall not commence their academic curriculum unless they get affiliations from the concerned University.

17. No affiliation without permission

Notwithstanding anything contained to the contrary in any law, the University shall not grant affiliation to any institute without permission or approval of the Department of Higher Education. Further, the University shall send a copy of the affiliation order to the Commissioner of Higher Education for information.

18. Restriction on shifting and transfer of permitted institutions:

- (1) No institution for which permission to establish has been granted to meet the educational needs of a particular area, shall be permitted to be shifted to another area.

However, it shall be permissible to shift the institution from one building to another within the same vicinity for the purpose of providing better accommodation or shifting into own building with the prior permission of the Government.

- (2) Any unauthorized shifting of the institution shall render automatic withdrawal of the permissions granted to the institution, without any further notice.
- (3) The educational agency, for which permission to establish an institution has been accorded shall not transfer the institution to another educational agency under any circumstances.

19. Withdrawal of Permission:

- (1) Where the management of any educational institution contravenes any of the provisions of this act and the rules framed there under; the Competent Authority may, for reasons to be recorded in writing withdraw the recognition of the institution or take such other action as is deemed necessary after giving to the management an opportunity of making representation against such withdrawal or action.

- (2) Where the Government is of opinion that the permission granted to any educational institution in public interest, be withdrawn, it may, after giving one month's notice to the management of such institution to make any representation, withdraw by

notification, the permission granted to the said institution.

- (3) The Competent Authority shall withdraw permission granted to the private educational institution permanently or for any specific period as may deem fit, when an institution, including a permanently recognized/affiliated institution, in the opinion of the Competent Authority, has failed to fulfill any of the conditions.

20. Control over Examination system:

The examination system whether by internal assessment, external assessment or partly internal or partly external, shall be regulated by the rules prescribed in the interest of making it reliable and effective method for student evaluation.

21. Restriction on change of nature:

Under no circumstances women's institution shall not be allowed to be converted into co-educational or boys' institution and vice-versa without the permission of State Government.

22. Regulation of Admission:

- (1) The application prescribed for admission of students and the advertisement calling for the application shall contain the particulars of order under which the institution has been established.
- (2) The admission of students into various courses shall be as per the rules of admission prescribed by the University concerned, from time to time.
- (3) In no case the intake of student shall exceed the prescribed limits of strength. The principal of the institution shall be personally liable for violation of the rules of admissions.

23. Fee Structure:

- (1) The Government shall constitute a permanent standing committee comprising of seven members of which the Commissioner of Higher Education shall be the chairman, Additional Director of Higher Education member-secretary, one member of the management, the principal of college, one principal of the government colleges, one principal of non-government colleges, and one educationist to be nominated by the Government for fixing and regulating the fee structure.

24. *Restriction on commercial use of land and building:*

(2) The standing committee while deciding the fee structure shall take into account the incentives given by the Government to the institution.

No income through commercial use of the land or building shall be allowed, where the government has provided the aid, in whatever shape, to acquire the land or construction of building or both thereon without the permission of the State Government.

25. *Restriction on use of Income:*

Any income from the funds raised for the specific purposes shall be used for the purposes concerned only and no part of it shall be allowed either to spend elsewhere or to invest it commercially.

However, use of remains of such funds can be permitted, on application and after due inspection of records, towards meeting out the deficit in pension funds in salary aided colleges or for meeting out the deficit in payment of the salaries to regular teaching staff in non-aided colleges.

26. *Constitution of permanent cell*

A permanent cell shall be constituted at the Directorate of Higher Education under an officer not below the rank of Additional Director to handle all the affairs pertaining to private institution. The Additional Director so appointed shall be the member-secretary of the standing committee constituted for fee structure.

CHAPTER - III

RECRUITMENT, PROMOTION AND SERVICE CONDITIONS ETC.

OF

TEACHERS AND EMPLOYEES IN AIDED INSTITUTIONS

27. *Recruitment of teachers and employees:*

Recruitment to the post of a teacher or other employee of an institution shall be made —

(1) with prior permission from the State Government and in accordance with the provisions of College Code Statute No. 28.

However, the application for permission shall be routed through the concerned University.

(2) the Government shall have no objection, if the college recruits teachers out of the resources for the institution. Under no circumstances such posts

shall be transferable to the general posts already sanctioned by the Government.

28. Promotion :

The affiliating University shall take appropriate steps in the matters pertaining to placement or promotion of teachers as per the provisions of College Code Statute No. 28 from time to time.

However, these placement/promotions shall be subjected to the approval of the Commissioner of Higher Education who shall further take the concurrence of the finance department of the Government. The committee constituted for this purpose shall have one member of the Government to be appointed by the Commissioner of Higher Education.

29. Service conditions:

The University shall review the service conditions of the employees of these aided institutions at least once in three years and inform the government from time to time about the outcome of the review.

**CHAPTER - IV
GRANT - IN - AID**

30. Grant-in-aid:

(1) Grant-in-aid shall be provided to recognized educational institutions under private management, subject to the conditions hereinafter specified and with due consideration of the requirements of each locality.

(2) The grants can be sanctioned for-

(i) maintaining the salary and allowances in aided institution.

(ii) building

(iii) instruments or land

(iv) other allied purposes to such extent and within such limits and with such conditions as may deem fit to the Government.

(3) Government decision on Grant-in-aid shall be final and shall not be challengeable in any court of law.

31. Types of Grant:

(1) Maintenance grant is a recurring grant provided for payment of the salaries to such employees (including teachers) of the non-governmental institutions as were appointed with the concurrence of either Higher Education Department of Madhya

Pradesh Government or Madhya Pradesh Uchcha Siksha Anudan Aayog prior to the commencement of the said Act.

- (2) Ad-hoc Grant is a non-recurring grant to be provided for such non- aided colleges, as have been running successfully with good record for five years, prior to submitting application for the assistance.

Application for grant:

The sanctioning authority may consider application for the grants available for the non-governmental institution, provided that; -

- (i) the institution applying for a specific grant has been registered as a society under the Registrkaran Adhiniyam in force and has been duly recognised by the Government under the concerned laws for eligibility to the grant;
- (ii) the institution has been in existence and running for not less than five years in case of the ad-hoc grants and ten years of its establishment in case of maintenance grants;
- (iii) the application for grant is for such purposes only as have been provided by the Government;
- (iv) the application for grant is not associated with promotion of any sectional interest, based on a particular caste, creed or community;
- (v) the institution has no such antecedents, which render it ineligible for the assistance in its record;
- (vi) the number of students enrolled in and benefited by the institution.

33. Form and

**declaration of
for grant:**

Every application for the sanction of grant shall be made to the Government, in such form as may be prescribed, together with a declaration signed by management of the recognized institution to the effect,-

- (i) that the conditions of recognition and of grant are being and shall continue to be fully observed;
- (ii) that all facilities for inspection of that institution, its accounts, registers and other records relating to the purpose shall be provided as and when required; and

- (iii) that all the returns and reports prescribed in this behalf submitted to the Competent Authority within the time specified by it.

34. Sanctioning authority for grant:

Except in cases where reference to Government is required, the Commissioner of Higher Education shall sanction grants to be paid from state funds.

35. Restrictions as to the assistance-grant on salary:

The assistance grant on salary for the educational staff of aided college, shall be limited to such courses and subjects pertaining to general education only, as are provided in the government colleges and as are recognized by the Department of Higher Education.

However, if the aided colleges wish to start any new course other than the existing courses, it shall do so out of its own resources raised for the purpose.

36. Audit:

The accounts of every institution receiving aid from Government, shall be subject to audit and it shall be open to the Commissioner, to decide in respect of each institution whether such audit shall be carried out by the auditors of his department or by outsiders and how often and at what intervals such audit shall be carried out. The auditors deputed by the Commissioner shall be given full access to all registers, records, account books etc. that the auditors find it necessary to be perused to a satisfactory discharge of their duties.

37. Power to withhold, withdraw, reduce, suspend, or recover the grants:

The Government may after necessary investigation withhold, withdraw, suspend, reduce the grant, or to recover the amount under objection, and to vest into the Government, the property created out of grants. -

- (i) if the institution concerned fails to fulfill all or any of the conditions of recognition or aid; or
- (ii) if it refuses admission to any student on the ground of caste or community to which the student belongs; or
- (iii) if the management or any of the teachers employed in the institution takes part in political agitation directed against the authority of Government; or inculcates opinions tending to excite feelings of disharmony or disaffection amongst the students; or
- (iv) if the institution, directly or indirectly, encourages propaganda calculated to bring in hatred, ridicule

- or contemptuous of the beliefs and practices of any religion; or
- (v) if there is violation of any orders of the Commissioner with regard to the employment of any teacher whose certificate has been cancelled or suspended after due enquiry or who after due enquiry has been considered by him to be unfit or undesirable to be a teacher; or there is falsification of registers; or misuse of special fee collections or other funds for purposes other than those for which they are collected or there is misrepresentation regarding fees; attendance or mass copying has been reported by the University or other matters or other proved fraud or irregularity; or
- (vi) if the institution concerned fails to disburse the salaries of teachers and employees as per University Grants Commission scales and State Government or wilfully violates the instructions of the Government in carrying out its directives given or fails to submit the quarterly report as to the number of students enrolled, the curriculum completed as per schedule, the utilization certificate of the grant disbursed for the said purpose to the Commissioner of Higher Education; or
- (vii) if the grant provided is used for the purposes other than those for which they have been sanctioned.

38. Lapse of grant:

The eligibility of an institution for purposes of aid from state funds shall cease automatically if the recognition of that institution is withdrawn and such ineligibility shall take effect from the date, from which the withdrawal of recognition takes effect. Subject to this condition, an institution, which works throughout a financial year or for a part of a year, shall be eligible for grant of such period whether or not it works beyond that period.

**CHAPTER -V
INSTITUTIONAL FUNDS, ACCOUNTS AND PROCEDURE FOR
PAYMENT OF SALARIES IN SALARY AIDED COLLEGES**

**39. Existing set up
to be preserved:**

The existing number of posts of teachers and other employees sanctioned by the Government or created with the approval of the Government in a salary-aided non-government educational institution under any law in force immediately before the commencement of the Act shall not be decreased or increased without the concurrence of the State Government.

**40. Educational Institution
Grant-in-aid not to
be discontinued:**

Notwithstanding any thing to the contrary, any educational institution under private management which has been in receipt of grant-in-aid in shape of maintenance grant from the Government under any law in force before the commencement of the Act shall continue to receive such grant-in-aid without any abatement or diminution of any kind whatsoever, provided it fulfills the conditions laid down in section 5.

Explanation: "Maintenance Grant" or salary grant shall mean and include the grant payable to the teachers and employees of the college by the State Government towards their salary, dearness allowance, other allowances etc. under the existing provisions.

However, the teachers working in such subjects, courses and faculties which also run under the Department of School Education, the same scales will be effective which is effective to the teachers of the same subjects, courses and faculties of Department of School Education, even if the college has taken permission from the Department of Higher Education or M.P. Uchha Shiksha Anudan Ayog to start such subject, courses and faculties in the college concerned. This provision shall be deemed to come in force from 1st November, 2000.

**41. Payment of dearness
allowances:**

(1) In case where the managements of aided educational institutions do not pay dearness allowance at rates notified by the Government for the staff in such institutions the Commissioner shall carry out investigation into the financial position of the institution and if, after such investigation he is satisfied that the managements

can afford to pay the allowance at Government rates, shall direct the management concerned to pay the allowance at Government rates.

- (2) If after the issue of such a direction, the managements receiving grants from state funds do not pay the allowance at Government rates, the grant payable to them may be withheld either in full or in part.

42. Management of institutions receiving grant:

Every institution receiving grant shall be under the management of one or more persons recognized by the department who in the capacity of proprietors, trustees or members of committee elected by the society or association by which the institution is maintained, shall undertake or be answerable for the maintenance of the institution and the fulfillment of all the conditions of recognition and aid including the due enforcement of such rules of discipline as are prescribed from time to time.

43. Constitution of Institutional fund:

A separate account shall be opened in a treasury or sub treasury of the area where the institution is situated, for each institution under the head provided as per the rules for the purpose of payment of the salary of the teachers and employees in which the institutional fund for the institution shall be deposited.

For the purpose of operation of the account opened under the provisions of the Act, the provisions of Chhattisgarh Treasury Code shall apply *mutatis-mutandis*.

44. Operation of fund:

The institutional-fund shall be operated jointly by a representative of the institution nominated by its management and the Commissioner of Higher Education or his nominee, under the rules framed by the Government under the said Act on certain conditions as may be prescribed in the rules the State Government may issue, an order authorizing the Commissioner or his nominee to operate the account singly for such period as may be specified in the order.

45. Pass Book:

- (1) The principal of the institution, who shall send the pass book to the treasury or sub treasury in the last week of every month so that the entries may be made therein, shall maintain the pass book of the account of every institution.

- (2) The pass book shall be sent to the treasury or sub-treasury in the last week of April in every financial year for making entries pertaining to the financial year ending on 31st March. The principal shall tally the balance in the account as on 31st March with the account maintained by him. If any discrepancy is found it shall be removed by reconciliation with the accounts maintained by treasury or sub-treasury.

46. Teachers and other employees to open two accounts:

All such teachers and other employees of the institution, who are on approved roll of the Government and the University Grants Commission for grant-in-aid as salary, shall open two accounts each in any nationalized Bank or post office convenient to them and specified by the Government for payment of salary. Out of these, the amounts of their salary shall be deposited in one account and the amount of their provident fund shall be deposited in the other account.

However, it shall be the responsibility of the management to disburse the salaries to all the categories of employees latest by last day of every month and shall not be later than 5th of the ensuing month under any circumstances. A communication having complied with the above provision shall invariably be sent to the Commissioner of Higher Education by 10th of every month failing which it shall call for stringent action against the management as per prescribed rules.

47. Checking of bills prior to signatures:

The pay bill and the treasury cheque issued thereon will be signed by the authorized nominees by the management and the Department of Higher Education on their respective behalf, after being duly checked as per rules by the later; the authorized signatory of the Department of Higher Education prior to signing the pay bill of the institution shall ensure that statement of the fees collected in the previous months is enclosed in duplicate and also that the amount due to be deposited on this account has been deposited with the treasury or sub treasury. Any discrepancy noted, while checking the bill or the cheque by the nominee of the higher education department will have to be removed by the institution before the cheque is executed.

48. Provision for pay slip to teachers and employees:

A pay slip shall be issued to every teacher or employee each month by the principal, wherein the pay and allowances for the salary month, the deductions made from his salary and the amount deposited in his bank account will be shown.

49. Fees:

Out of the total amount of the fees recovered by the management at the specified standard rates under the Act, fifty percent will be earmarked to meet the expenses of the institution and the remaining fifty percent shall be

deposited with the treasury or sub treasury by the last date of every month by adjustment or by the *challan* in accordance with the rules thereon.

50. Account of fees retained to be maintained separately:

The account of fees retained by the institution after depositing 50 percent of the amount of fees with treasury or sub treasury shall be maintained separately. The principal shall be responsible for maintaining this account.

51. Maintenance of account-books:

Cashbook, treasury cheque books and account books relating to salaries and fees, vouchers and other papers relating to payment of salaries and fees of the institution and all other details of transaction as may be prescribed shall be kept in the custody of the principal of the institution. The responsibility of maintaining the accounts shall be of the principal and he shall make all books relating to accounts and all other papers available at the time of audit.

52. Annual audit of Accounts:

The accounts of every educational institution receiving grants out of state funds shall be inspected and audited at the end of every financial year by the auditors deputed by the Department of Higher Education. The management is required to submit the financial statement with supporting statements as prescribed under the rules to the Commissioner not later than the first of May of every year.

CHAPTER - VI**ON CLOSURE, REQUISITION OF PROPERTY AND MANAGEMENT OF AIDED COLLEGES.**

53. Non-Government institution not to be closed down, etc. without notice:

Save as otherwise provided in the said Act, no non-government institution in full or in part shall be closed down or discontinued, unless a notice of not less than one academic year expiring with the end of any academic year and indicating the intention to do so, has been given by the management to the Competent Authority.

54. Management to hand over properties records etc. to competent authority on closure, etc. of non-government Institution:

In the event of the institution being closed down or discontinued or its permission and recognition being withdrawn, the management shall hand over or cause to be handed over to the Competent Authority the custody of all the properties, records and accounts of the institution in their possession.

55. Restriction on alienation of property of non-government institution:

- (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force no sale, mortgage, lease, pledge, change or transfer of possession in respect of any property of a non-government institution shall be made on creation except with the previous permission in writing of the Competent Authority on an application made in this behalf.
- (2) (a) No permission applied for under sub-section (1) shall be refused by the Competent Authority except where the grant of such permission will in its opinion, adversely affect the working of the institution;
- (b) The Competent Authority shall pass an order, either granting or refusing permission applied for within a period of sixty days from the date of receipt of the application;
- (3) Any person aggrieved by an order refusing permission under sub-section (2) may in such manner and in such time as may be prescribed, appeal to the prescribed authority.
- (4) Any transaction made in contravention of sub-section (1) shall be deemed null and void.

56. Permission to alienation:

The Government may, by order in writing, permit the transfer of any such land or building subject to such conditions as they may impose, if:

- (1) The transfers made in furtherance of the purposes of the educational institution or of ancillary purposes approved by the Government, and the proceeds of such transfer are to be wholly utilized in furtherance of the said purposes;
- (2) The transfer is made only in part in furtherance of the purpose aforesaid, provided repayment is made to the Government of such portion as the Government may direct ;
- (3) The transfer is made for any other valid reason, provided repayment is made to the Government in full of the grant provided under the said Act;

57. Liability of management to repay debts incurred in certain cases:

Where any management incurs debts for the purpose of running an educational institution without proper authorization by the management of such institution and where it is found by the Competent Authority after making an enquiry that the money received through such debts have not been utilized for running the institution, it shall be the personal liability of such management to discharge the said debts.

58. Furnishing of returns etc.:

Every educational agency shall within such time or within such extended time as may be fixed by the Competent Authority in this behalf, furnish to the Competent Authority such returns, statistics and other information as the Competent Authority may, from time to time, require.

59. Powers of entry and inspection and calling for information :

The Competent Authority may, for the purpose of requisitioning or acquiring any property under this chapter, by order,—

- (a) empower any authority to enter and inspect any property specified in the order liable to be requisitioned or acquired under the said Act;
- (b) require any person to furnish to such authority such information in his possession relating to the property as may be specified in the order.

60. Posts of employees of educational institutions under vested under this chapter purposes of to be treated as a unit for certain purposes:

The posts in each category of employees of the educational institutions, which have been vested in the Government this chapter shall be a separate unit for seniority, discharge, reversion, for want of vacancies, reappointment of probationers and approved probationers and appointment of full members.

CHAPTER-VII

AD-HOC ASSISTANCE GRANT TO NON-AIDED COLLEGES

61. Ad-hoc Grant:

Ad-hoc Grant means the non-recurring grant set apart annually out of the State Fund of the Government meant to assist such recognized non-aided institutions of higher education as may, subject to the conditions laid down hereunder, qualify for the assistance for the following purposes,-

- (i) Extension of building particularly for toilets, washes, reading room, library, laboratories, girls common room and staff room;
- (ii) Purchase of apparatus and instruments for educational or technical purposes;
- (iii) Purchase of books of original referential value;
- (iv) Purchase of racks and almirahs for the library;
- (v) Purchase of computer and advanced teaching aids, for providing facilities of purified drinking water or for water supply and drainage system;
- (vi) Furniture for the classrooms.
- (vii) For purposes under sub-section (3) of Section 15.

Provided that the grant shall not be admitted to fulfill the basic conditions laid down for establishment of a new college and shall be used only for enhancement of the facilities available and to fulfill the requirements of the growing institution.

The institution intending to apply should have,-

62. Eligibility for ad-hoc grant:

- (a) completed a period of five years since the session from which students were admitted for the first year of the faculties provided;

- (b) a strength of students not less than,-
 - (i) three hundred in case of urban areas
 - (ii) one hundred and fifty in case of scheduled areas, girls' colleges and the areas where there is no such institution of higher education within the radius of 25 km.
- (c) been paying the salaries for academic staff as per University Grants Commission scales to the extent possible and Government scale for non-teaching staff;
- (d) a copy of the salary statement of both academic and non-academic staff as proof of evidence in order to qualify for ad-hoc grant.

63. Disqualification:

Any institute, which has,-

- (a) failed to comply with any of the conditions provided under this act or any other law;
 - (b) been charged for mass copying by the University or the Commissioner or for any such misconduct which bears on the reputation of the institution concerned;
- shall not be eligible for ad-hoc assistance grant.

64. Priority :

The priority in consideration of grants shall be given to the institutions,-

- (a) from schedule areas;
- (b) for education exclusively for women;
- (c) from such notified blocks, where there is no facility whatsoever of higher education;
- (d) which have been established under the public-private partnership in management with at least 30% of the movable and immovable property having been provided in the shape of public share of the properties of the institution;
- (e) which are established for; and running with, the complete range of vocational or applied subjects and courses.

65. Limitations to Ad-hoc Grant:

- (1) The Government may sanction grant up-to Rs.5 lacs as the maximum limit subject to the condition that not more than Rs.2 lacs shall be sanctioned for any single item;
- (2) An institution to which a grant has been sanctioned shall not be eligible to apply for the next

grant until expiry of the three completed years from the date of sanction of the grants;

- (3) The amount of sanction shall be decided by the Department or Government on the basis of eligibility and justification of the proposed plan submitted by the institution along with the application;
- (4) The Government shall have the exclusive right to decide the size, shape and amount of the grants;
- (5) The Government shall have the power to accept or reject partially or in full the application without assigning any reason and such decision shall be final.

66. Application for the Ad-hoc Grant:

Any institution fulfilling conditions laid down for ad-hoc grant may apply in prescribed form addressed to the Commissioner of Higher Education by 31st of October.

67. Liability on accepting Ad-hoc Grant:

Subject to the provisions of the Act,-

- (1) For making purchases the Bhandar Kraya Niyam 2003 of the Government shall be made applicable.
- (2) A separate register for inventory shall be maintained for the ad-hoc grants wherein entry on all the expenditures must be recorded.
- (3) Vouchers and other documents related to the ad-hoc grant shall be preserved separately and should be presented before the auditors of the department and inspection authority as and when asked for.
- (4) Use or Expenditure of the amount sanctioned as ad-hoc grant shall be restricted to the approved plan or items permitted by the Commissioner of the Higher Education on sanctioning the grants.
- (5) The property created out of the ad-hoc grant or the items purchased there from or are subject to physical verification by the authorities of the Government.
- (6) The ad-hoc grant shall not be used for payment of salaries etc. or for any other purposes except those for which it has been sanctioned.
- (7) Statement of expenditure on use of the ad-hoc grant along with the vouchers and audited account shall be sent by the institution to the Commissioner with

- in three months of the expiry of the period permitted for use of the grant in the sanction order.
- (8) The sum or amount which remains unspent, shall be returned immediately within the period specified under sub-section (7) of this section by the institution to the Government.

CHAPTER -VIII

MISCELLANEOUS PROVISIONS

68. Power to make rules:

- (1) Subject to the provisions of the Act, the Government may by notification make rules to carry out all or any of the purposes of the said Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of foregoing subsection such rules may provide for,-
- (i) the manner in which in any enquiry under the Act shall be held;
 - (ii) the registers, statements, reports, returns, budgets and other information to be maintained or furnished by approved colleges for the purpose of the Act;
 - (iii) the establishment of maintenance and administration of educational institution;
 - (iv) the recognition to educational institutions and the conditions therefor;
 - (v) regulating the rates of fees, the levy and collection of fees in educational institutions;
 - (vi) the manner in which accounts, registers, records and other documents shall be maintained in the educational institutions and the authority responsible for such maintenance;
 - (vii) the inspection of educational institutions and the officers by whom inspection shall be made;
 - (viii) the mode of keeping and the auditing of accounts of such institutions;
 - (ix) the standards of education and courses of study in educational institutions;

- ~~the grants of sums by the Government to~~
educational institutions towards providing
scholarships, bursaries, fee concessions etc;
- (xi) the preparation and submission of
development plans for educational
institutions in general education and the
contents of such plans;
- (xii) the powers and the functions of the officers
and other subordinate staff of the Higher
Education Department;
- (xiii) the preparation and sanction of building
plans and estimates of the educational
institutions and the requirements to be
fulfilled by the building for the educational
institutions maintained by the local
authorities and private institutions;
- (xiv) the purposes for which the premises of the
educational institutions may be used and the
restrictions and conditions subject to which
such premises may be used for any other
purpose;
- (xv) the regulation of the use of text books, maps,
plans, instruments and other laboratory and
sports equipment in the institutions;
- (xvi) the regulation for admission into educational
institutions of students for the academic
course, private study and other special
courses and the attendance there at;
- (xvii) the qualifications necessary and other
conditions to be fulfilled for appearing at the
examinations conducted by the authorities
under the Act and the method of valuation or
revaluation of answer scripts;
- (xviii) the manner of conduction of the class and
terminal examinations within the institution;
- (xix) the conditions subject to which donations or
contributions from the public may be
accepted by the educational institutions and
the naming of institutions;
- (xx) the conditions for co-education in the
educational institutions and the regulation of

- the conduct and discipline of the students and the penalty for misconduct or indiscipline;
- (xxi) the manner of service of notices, orders and other proceedings, of presenting appeals or applications for revision or review and the procedure for dealing with them and the fee in respect thereof;
- (xxii) the scale of fees or charges or the manner of fixing fees or charges payable in respect of any certificate or other document for which such fees may be collected;
- (xxiii) the constitution of educational councils at the state level, their composition and function;
- (xxiv) all matters expressly required or allowed by the said Act to be prescribed or in respect of which the said Act makes no provision or makes insufficient provision and a provision is, in the opinion of the Government, necessary for the proper implementation of the said Act.

**69. Inspection of
Educational Institutions:**

- (1) The Government or the Competent Authority may authorise any officer not below such rank as may be prescribed to inspect any educational institution in the state.
- (2) The officer authorised under sub-section (1) shall exercise general powers of inspection over the working of the educational institution.
- (3) The management and the employees of the educational institution shall at all reasonable times be bound to afford to the aforesaid officer all such assistance and facilities as may be required for the purpose of such inspection.
- (4) The management shall comply with such directions or suggestions as may be given provided that the management aggrieved by any such direction or suggestion may appeal, within thirty days from the date of receipt of such direction or suggestion to the prescribed authority whose decision on such appeal shall be final.

**70. Laying down of rules
in certain cases:**

Any rule may be made under the said Act with retrospective effect and when such a rule is made, the reasons for making the rule shall be specified in a statement to be laid before the State Legislature.

**71. Protection of acts
done in good faith:**

No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against the Government or any officer, authority or person empowered to exercise the powers or perform the functions by or under the Act for anything which is in good faith done or intended to be done under the said Act or under the rules or orders made there under.

72. Savings and repeal:

The provisions of the Act shall have effect notwithstanding any matter to the contrary contained in any other Acts, rules or orders on the subject for the time being in force.

Provided that the Acts and rules governing the establishment, management and functions of the non-government colleges and prevailing on the date of incorporation of the Act, so far as they, are applicable to various categories of non-governmental institutions in higher education, shall continue to be in force to the extent they are in confirmation of the provisions of the Act.

**73. Power to exempt
any institution from
and provisions of the Act:**

Notwithstanding anything contrary contained in the Act, the State Government may by general or a special order subject to such conditions, if any, as it may deem fit to impose or exempt any institution or class of institutions from all or any of the provisions of the Act.

Provided that any such order shall specify the ground for imposition or exemption mentioned under the aforesaid provision.

**74. Recovery of certain
sums as arrear
of land revenue:**

Any sum, which is required to be credited by the management of any institution to the institutional fund under the provision of the Act may if not credited to the said fund within the period specified therein, shall be recovered from the management of such institution in the same manner as an arrear of land revenue.

**75. Power to remove
difficulties:**

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of the Act remove the difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of the Act.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मई 2013—ज्येष्ठ 1, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2013

क्रमांक 4249/डी. 135/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-04-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 18 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था
(स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | | |
|----------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 7 का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 में, अंक एवं शब्द "वर्ष के 31 अक्टूबर" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "वर्ष की 31 जुलाई" प्रतिस्थापित किया जाये. |
| धारा 12 का संशोधन. | 3. | मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) में, अंक एवं शब्द "संबंधित वर्ष 31 मई" के स्थान पर अंक एवं शब्द "संबंधित वर्ष की 31 जनवरी" प्रतिस्थापित किया जाये. |

रायपुर, दिनांक 22 मई 2013

क्रमांक 4249/डी. 135/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.


CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2013)

THE CHHATTISGARH NON-GOVERNMENT COLLEGES AND INSTITUTIONS IN HIGHER EDUCATION (ESTABLISHMENT AND REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) Act, 2006 (No. 25 of 2006).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-Fourth Year of the Republic of India, as follows :—

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) (Amendment) Act, 2013. | Short title and commencement. |
| | (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | In Section 7 of the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) Act, 2006 (No. 25 of 2006), (hereinafter referred to as the Principal Act) for the figure and words "31st October of the year", the figure and words "31st July of the year" shall be substituted, | Amendment of Section 7. |
| 3. | In sub-section (2) of Section 12 of the Principal Act, for the figure and words "31st May of the concerned year", the figure and words "31st January of the concerned year" shall be substituted. | Amendment of Section 12. |



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291-अ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 अगस्त 2018 — श्रावण 17, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्रमांक 8009/डी. 150/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-07-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन)
(संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्र. 25 सन् 2006) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | | |
|-------------------------------------|----|-----|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा. |
| | | (2) | इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा. |
| | | (3) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 49 एवं 50 का संशोधन. | 2. | | छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्र. 25 सन् 2006) में धारा 49 एवं 50 में जहां कहीं भी शब्द "शुल्क" आया हो के स्थान पर क्रमशः शब्द "शिक्षण शुल्क" प्रतिस्थापित किया जाये. |

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्रमांक 8009/डी. 150/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2018)

**THE CHHATTISGARH NON-GOVERNMENT COLLEGES AND INSTITUTIONS IN
HIGHER EDUCATION (ESTABLISHMENT AND REGULATION) (AMENDMENT)
ACT, 2018**

An Act further to amend the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) Act, 2006 (No. 25 of 2006).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) (Amendment) Act, 2018. | Short title,
extent and
commencement. |
| | (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | In the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) Act, 2006 (No. 25 of 2006), in Section 49 and 50 respectively, for the word "Fees", wherever it occurs, the words "Tuition Fees" shall be substituted. | Amendment of
Section 49 and
50. |